छठी रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

को लागू करना

(01.01.2011 से 31.12.2011)

राज्य सूचना आयोग,
हरियाणा।

एस.सी.ओ नं0 70 – 71, 114 – 115,	Website: www.cicharyana.gov.in
सैक्टर – 8 सी, चण्डीगढ – 160 009	e-mail: ussichry@yahoo.co.in

विषय सूची		
अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	अध्याय 1: प्रस्तावना	3 – 4
2	अध्याय 2: हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन	5 – 9
3	अध्याय 3 : वेतन एंव भत्ते	10
4	अध्याय 4: सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रशासन	11 – 16
5	अध्याय 5: परीक्षण करना व विवरण देना	17 – 19
6	अध्याय 6: शिकायतें एंव अपीलों की स्थिति	20 – 24
7	अध्याय 7: अधिनियम के बारे में जानकारी का सृजन	25 – 26
8	अध्याय 8: सुधार के लिये सिफारिशें	27 – 29
अनुबंध 'क'	सूचना का अधिकार नियम, 2009	30 – 39
अनुबंध 'ख'	लोक प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना	40 – 55
अनुबंध 'ग'	प्रमुख लोक प्राधिकरण जिनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई	56 – 60
अनुबंध 'घ'	दंड का ब्यौरा जो राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर लगाया गया	61 – 66
अनुबंध 'ड़'	सूची जिन मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई	67 – 68
अनुबंध 'च'	अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को मुआवजा दिये जाने का ब्यौरा	69 – 93

अध्याय – 1
प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, 15 जून, 2005 को अपनी प्रस्तावना के साथ कानून के रूप में अस्तित्व में आया जिस का पठन निम्न प्रकार से है: –

''प्रत्येक जन प्राधिकारी के कार्यो में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोन्नत के लिये जन प्राधिकारी के नियत्रंण अधीन नागरिकों को सूचना की पंहुच निश्चित करने के लिये केंन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन तथा सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन प्रणाली स्थापित करने के लिये उसके साथ संबंधित विषयों या उसके साथ अनुसंधित विषयों को उपलब्ध करने के लिये एक अधिनियम।''

1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अक्तूबर 12, 2005 (इसके अधिनियम बनने से 120 वें दिन) को लागू किया गया लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को इसके अधिनियम बनने अर्थात् 15 जून,2005 से ही लागू किया गया। इन प्रावधानों में जन प्राधिकारियों के कर्तव्य, सूचना आयोगों को, जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारी के पदों को विभिन्न सक्षम जन प्राधिकारियों द्वारा कानून बनाने की शक्तियां शामिल हैं। अधिनियम की विस्तृत पंहुच है और इसके कार्यक्षेत्र में विकासों की एक लम्बी श्रृंखला आती है। सभी विभाग, सरकार के उपक्रम, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाए और अन्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, अपनाई, नियत्रिंत या वित्त पोषित की गई निकाय और गैर–सरकारी संगठनों सहित इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन आते हैं। इस अधिनियम के तहत सभी भारतीय नागरिकों तक सूचना की पंहुच कुछ घंटों के साथ सामान्य नियम ही जो छूट स्वंय अधिनियम में ही सुरक्षा की शर्तो के भी अधीन है।

1.3 कानून जैसा कि सैक्सन 25(1) में आदेशित किया गया है– उसे जरूरत होती है कि राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में, वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन पर, जितना भी व्यवहारिक रूप से जरूरी हो सके एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे और उसकी एक प्रति राज्य विधान सभा में रखने के लिये समुचित सरकार को अग्रेसित करे। राज्य सूचना आयोग, हरियाणा कैलेण्डर वर्ष 2011 के लिये छठी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1.4 राज्य सूचना आयोग, हरियाणा 31 अक्तूबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था और हरियाणा दिवस पर 1 नवम्बर, 2005 को अस्तित्व में आया। हरियाणा दिवस, वर्ष 1966 में हरियाणा

राज्य के गठन को स्मरण करा रहा है। आयोग ने अक्तूबर, 2011 में अपने छठे वर्ष को पूरा किया है। वार्षिक रिपोर्ट अधिनियम के सैक्सन 25(2) के तहत प्रदत्त जिम्मेदारियों के अनुसार जन प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के कियान्वयन की स्थिति पर ही प्रकाश डालती है। प्रत्येक जन प्राधिकारी को की गई असंख्य निवेदनों और राज्यों सूचना आयोग को भेजी गई बहुत सी अपीलों के पुनः निरीक्षण, अपीलों की किस्मों और परिणामों पर उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत जन प्राधिकारियों के संबंध में सूचना एकत्रित करना और राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करवाना प्रत्येक विभाग का कर्तव्य बनता है। प्रत्येक विभाग बहुत फैसलों की भी सूचना देगा जहां पर अपीलकर्ता दस्तावेजों तक पंहुच का पात्र नहीं है और इन फैसलों को करते समय अधिनियम के प्रावधान लागू किये गये थे विभाग उनके बारे में सूचित करेगा। इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में किसी अधिकारी के विरूद्व की गई किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई और इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जन प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई दोषारोपण की राशि को भी सूचित किया जायेगा। इस अधिनियम की भावना और इरादे को लागू करने और संचालन करने के लिये जन प्राधिकारियों द्वारा किये विशेष प्रयासों को आयोग के नोटिस में लाया जायेगा। नागरिकों के सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये विकास, सुधार और आधुनिकरण कर सिफारिशों सहित जन प्राधिकारी सुधार के लिये सिफारिश करेंगे। एक विशिष्ठ जन सूचना अधिकारी सूचना पंहुच के बारे में और इसके आदेशित कठिन कार्य और कार्यशैली के दृष्टिगत इस अधिनियम के सुधारों या संशोधन के लिये विशेष सिफारिशें कर सकता है।

1.5 राज्य सूचना आयोग, हरियाणा तदानुसार जन प्राधिकारियों से निर्धारित रूपरेखा में रिपोर्ट सादर आमंत्रित करता है।

अध्याय – 2

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा का गठन

2.1 सूचनाअधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 15 देश के प्रत्येक राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तदानुसार हरियाणा राज्य ने 31 अक्तूबर, 2005 को अपने राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सूचना आयोग, हरियाणा के रूप में जानी जाने वाली एक निकाय का गठन किया। आयोग ने 1.11.2005 से कार्य करना शुरू कर दिया। श्री जी.माधवन, आई.ए.एस (रिटायर्ड) प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे। उन्होनें अवधि पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 28.10.2010 को कार्यालय छोड़ दिया। श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, आई.ए.एस (रिटायर्ड), सूचना आयुक्त महोदया ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार दिनांक 29 अक्तूबर, 2010 को संभाला और दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को कार्यालय छोड़ दिया। इन विभुतियों ने अपने विस्तृत प्रशासनिक अनुभव के आधार पर आयोग और इसके तंत्र की मजबूत नींव की स्थापना की। श्री नरेश गुलाटी, आई.ए.एस (रिटायर्ड) ने दिनांक 20.05.2011 (बाद दोपहर) को तुरंत प्रभाव से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभाल लिया। वर्ष 2011 कलैंडर वर्ष के दौरान आयोग में निम्नलिखित शामिल थे:–

नाम	नियुक्ति	पदभार संभालने की तिथि
श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, आईएएस (से0नि0)	मुख्य सूचना आयुक्त	29.10.2010
श्री नरेश गुलाटी, आईएएस (से0नि0)	मुख्य सूचना आयुक्त	20.05.2011 (बा. दो0)
श्रीमती आशा शर्मा, आई ए एस (से0नि0)	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री एम.आर.रंगा	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री प्रेम वीर सिंह	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008

अधिनियम में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और दस राज्य सूचना आयुक्तों की व्यवस्था है। वर्ष 2011 के दौरान तीन राज्य सूचना आयुक्त पदासीन थे और शेष पद भरे नहीं गये थे।

आयोग का मुख्यालय एंव इसकी कार्यप्रणाली

2.2 आयोग का मुख्यालय चंडीगड़ में है। राज्य सरकार ने आयोग का कार्यालय स्थापित करने के लिये सैक्टर 8 – सी, मध्यमार्ग, चंडीगढ में एस.सी.ओ. नं0 70 – 71 (प्रथम तल) और एस.सी.ओ. नं0 114 – 115 (भू एंव प्रथम तल) आवंटित कर दिये।

2.3 शिकायतकर्ताओं, अपीलकर्ताओं, पदासीन राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सुविधा के दृष्टिगत आयोग ने मंडलीय मुख्यालयों पर भी सुनवाई करनी शुरू कर दी। सभी दावेदारों के समय और कीमत की बचत के अतिरिक्त इससे तीव्र निपटान की तरफ रास्ता अग्रसर हुआ। दूर – दराज के स्थानों जैसे महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, मेवात, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिलों के शिकायतकर्ताओं और अपीलकर्ताओं ने आयोग के इस फैसले का स्वागत किया। उत्तरवादियों ने भी इस शुरूआत का समानरूप से स्वागत किया।

राज्य सूचना आयुक्तों को बजट का आवंटन

2.4 राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा को इसकी जरूरतें पूरी करने के लिये धनराशियों का आंवटन किया। राज्य सरकार ने आयोग के अस्तित्व से वर्ष 2011 – 2012 तक लेखा शीर्ष "2010 – अन्य प्रशासकीय सेवायें – नान प्लान के तहत निम्नलिखित आंवटन किये हैं: –

वर्ष	आवंटित राशि (रूपये लाखों में)	
	मौलिक	अन्तिम
2005 – 2006	30.00	26.79
2006 – 2007	140.04	126.00
2007 – 2008	167.94	135.05
2008 – 2009	244.27	212.02
2009 – 2010	265.62	233.04
2010 – 2011	269.34	223.74
2011 – 2012	257.97	–

2.5 वर्ष 2010 – 2011 ओर 2011 – 2012 की धनराशियों का विभिन्न उप – शीर्षो के तहत अलग – 2 विवरण निम्न प्रकार है:

(रूपये लाख में)

क्रम संख्या	मद	2010 – 2011 (अंतिम)	2011 – 2012 (अंतिम)
1	वेतन	108.02	96.3 0
2	महंगाई भत्ता	41.02	40.52
3	यात्रा खर्च	1.77	4.50
4	कार्यालय खर्च	28.92	40.00
5	मोटर – गाड़ी	1.46	16.00
6	तेल	5.11	9.90
7	चिकित्सा खर्च	0.80	6.20
8	अनुबन्ध सेवाएं	26.94	20.00
9	व्यवसायीक एंव विशिष्ट सेवाएं	00.00	10.00
10	एल.टी.सी	05.00	07.45
11	सूचना प्रौद्यौगिकी	4.70	7.10
	कुल जोड़	223.74	257.97

2.6 राज्य सरकार ने आयोग के लिये सुचारू ढंग से कार्य करने के लिये निम्नलिखित पदों को स्वीकृत किया: –

क्रम संख्या	नाम और पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान संशोधित वेतनमान
1	एक मुख्य सूचना आयुक्त	90000 / – रूपये निर्धारित
2	तीन राज्य सूचना आयुक्त	80000 / – रूपये निर्धारित
3	एक सचिव (संयुक्त सचिव के स्तर से)	37400 – 67000 रूपये का वेतन बैंड + 8000 रूपये का ग्रेड वेतन
4	सी.आई.सी का एक वरिष्ठ सचिव	15600 – 39100 रूपये का वेतन बैंड + 7600 रूपये का ग्रेड वेतन
5	एक अवर सचिव	15600 – 39100 रूपये का वेतन बैंड + 6000 रूपये का ग्रेड वेतन
6	तीन एस.आई.सी के निजी सचिव	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 5400 रूपये का ग्रेड वेतन
7	विधि अधिकारी	जैसा कि पारिश्रमिक आयोग द्वारा निश्चित किया जाये।
8	एक अनुसंधान अधिकारी – कम – सलाहकार	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 4600 रूपये का ग्रेड वेतन
9	एक अधीक्षक	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 4200 रूपये का ग्रेड वेतन और 200 रूपये का विशेष वेतन
10	एक प्रोग्रामर	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 4200 रूपये का ग्रेड वेतन लेकिन हाट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।
11	पांच निजी सहायक	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 4200 रूपये का ग्रेड वेतन
12	दो सहायक	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 3600 रूपये का ग्रेड वेतन
13	एक लेखा सहायक	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 3600 रूपये का ग्रेड वेतन
14	चार रीडरज़	9300 – 34800 रूपये का वेतन बैंड + 3600 रूपये का वेतन ग्रेड
15	एक कनिष्ठ स्तर स्टैनोग्राफर	5200 – 20200 रूपये का वेतन बैंड + 2400

		रूपये का वेतन ग्रेड
16	चार स्टैनो टाईपिस्ट	5200 – 20200 रूपये का वेतन बैंड + 1900 रूपये का वेतन ग्रेड और 100 रूपये विशेष वेतन
17	सात लिपिक – कम – कम्प्यूटर आप्रेटरज़	5200 – 20200 रूपये का वेतन बैंड + 1900 रूपये का वेतन ग्रेड और 40 रूपये विशेष वेतन
18	छः चालक	5200 – 20200 रूपये का वेतन बैंड + 2400 रूपये का वेतन ग्रेड और 300 रूपये विशेष वेतन
19	पन्द्रह सेवादार	4440 – 7440 रूपये का वेतन बैंड + 1300 रूपये का वेतन ग्रेड और 30 रूपये विशेष वेतन

2.7 31 दिसम्बर, 2011 को सचिव और विधि सलाहकार के पद को छोडकर, आयोग में सभी पद भर लिये गये। एक नीति के तहत, सारा स्टाफ स्थानान्तरण के आधार पर हरियाणा सिविल सचिवालय, राजस्व और आपदा प्रबन्धन और राज्य सरकार के अन्य विभागों से लिया गया। जब स्थानान्तरण के आधार पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाये गये तो नियुक्तियां अनुबंध आधार पर या चिन्हित की गई बाह्य – संसाधनों वाली ऐजेन्सियों के माध्यम से की गई।

अध्याय – 3

वेतन एवं भत्ते

3.1 राज्य सरकार ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें व स्थितियां आर.टी.आई – एक्ट के सैक्सन 16 के उप सैक्सन(5) के तहत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत की हैं।

क. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के चुनाव आयुक्त के पद के समकक्ष होगा।

ख. राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होगा।

3.2 राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के देय वेतन व भत्ते राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान होगें। अनुबन्ध आधार पर या बाह्य – संसाधनों के माध्यम से नियुक्त स्टाफ अनुबन्ध दरों पर अदायगी के पात्र होंगे जो न्यूनतम वेतन से किसी तरह कम नहीं होगी।

अध्याय – 4

सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रशासन

4.1 जन प्राधिकारी के रूप में एस.आई.सी द्वारा सैक्सन 4 का कार्यान्वयनः –

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 4, एक समुचित समय के अन्तर्गत सूचना अधिकार को सुविधा जनक बनाने के लिये सभी रिकार्डो का बकायदा कैटालोग व सूची–वद्ध करना, सभी रिकार्डो का कम्प्यूटरीकरण करके संजो कर रखना और इस अधिनियम के लागू होने से 120 दिनों के अन्तर्गत सैक्सन 4(1)(बी) में वर्णन की गई सभी सूचना के प्रकटीकरण की पंहुच व तत्परता के दृष्टिगत संसाधनों और नेटवर्क की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के अधीन तथा कम लागत स्थानीय भाषा और संचार के साधनों की क्षमता के दृष्टिगत सभी नागरिकों के प्रयोग के लिये नियमित अवधि पर अध्यतन करना और विभिन्न माध्यमों से जैसे इलैक्ट्रोनिक व प्रिंट मिडिया, नोटिस बोर्डो, पब्लिक नोटिसों, वैब साईटस आदि से प्रचार करना सभी जन प्राधिकारियों पर लागू होता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि सूचना तक पंहुच के लिये एक्ट के तहत आवेदन दायर करने के लिये नागरिकों के लिये अधिकत्तम सहारा है जिसके लिये महत्वपूर्ण दर्शन है कि जितनी भी सम्भव हो सके उतनी ही अधिक से अधिक प्रकट करने योग्य सूचना को जनता के ज्ञान–क्षेत्र के अन्दर डाला जाये।

4.2 सैक्सन 4(1)(ए) को लागू करने के लिये एस.आई.सी का प्रंबंधः

अधिनियम की आवश्यकताओं की परिपालना करने के लिये, आयोग ने आई.टी–इनेबलमैंट स्कीम के तहत रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना हाथ में ली है जिसके लिये

कर्मचारी–वर्ग कल्याण एंव प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने केन्द्रीय बलशाली क्षमता निर्माण और जागृति सृजन शीर्षक से प्लान स्कीम के तहत आर.टी.आई–एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये धनराशि दी है। आयोग ने वर्ष 2010 तक की अपीलों/शिकायतों की फाईलों को 'डिजीटाईजिंग' के द्वारा रिकार्ड को कैटालोग बनाकर सूचीबद्व किया है।

4.3 सैक्सन 4(1)(बी) के लिये व्यवस्था:

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा ने एक्ट के सैक्सन 4(1)(बी) के तहत आदेशित स्वतः ही सूचना को अपनी वैबसाईट www.cicharyana.gov.in पर रख दिया है। आयोग ने विभिन्न श्रेणियों की सूचना के कानूनन पुर्न–निरीक्षण के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी परिभाषित किया है। अधिकारियों को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों से संबंधित सूचना के छमाही पुर्नः निरीक्षण को सम्पन्न करने की आवश्यकता है और आयोग की वैबसाईट में शामिल करने के लिये अपनी इस परिवर्तित और संशोधित जानकारी को प्रोग्रामर को भेजने की भी जरूरत है।

4.4 अन्य जन प्राधिकारियों द्वारा स्वतः सूचना का प्रकटीकरण:

आयोग ने अवलोकन किया कि अधिनियम की घोषणा से ही सरकार के कार्य करने की प्रणाली से संबंधित वास्तविक सूचना स्वतः प्रकट कर दी गई है और इसे जन प्राधिकारी की वैबसाईट पर डाल दिया गया है। पूर्ववत स्वतः सकिय सूचना के प्रकटीकरण में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। सैक्सन 4(2) और सैक्सन 4(3) इस सूचना के प्रचार की प्रणाली की व्याख्या करते हैं। सैक्सन 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरणों का उद्देश्य जन

प्राधिकारियों के कार्य को अधिक पारदर्शी बनाने और व्यक्तिगत आर.टी.आई – आवेदनों को दायर करने को भी कम करने के लिये पूर्ववत सक्रिय प्रकटीकरण के आधार पर जनता के ज्ञान – क्षेत्र पर अधिक से अधिक सूचना को रखना है। यह अनुभव किया गया है कि आर. टी.आई – एक्ट के सैक्सन 4 का कमजोर कियान्वंयन आंशिकरूप से इस तथ्य के कारण है कि इस सैक्सन के कुछ प्रावधानों का विस्तृत विवरण पूरी तरह से नहीं दिया गया है। फिर, यह सुनिश्चित करने के लिये एक परिपालना मशीनी करण स्थापित करने की आवश्यकता है कि सैक्सन 4 के तहत की जरूरतें पूरी कर दी गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि एक नागरिक को सूचना प्राप्त करने के लिये अधिनियम के प्रयोग का कम से कम सहारा लेना पडे तो नागरिक चार्टर, स्वैच्छिक एंव अनैच्छिक अनुदान, अधिकारियों/मन्त्रियों के विदेशी दौरे, जन प्राधिकरण में सेवारत विभिन्न काडर के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेशों, जन प्राधिकरणों की सरकारी खरीद नीति, विभागीय, महा लेखाकार, सी ए जी व पी ए सी लेखा परीक्षण पैराज और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आदि से संबंधित अधिकतर सूचना अधिनियम के सैक्सनों 8 से 11 तक को विचार में रखते हुये पूर्ववत ही सक्रियरूप से प्रकट कर देनी चाहिये। इस स्वतः प्रकटीकरण का परिणाम जन प्राधिकारियों के कार्य को अधिक कुशल एंव पारदर्शी बनाना होगा जो आगे फिर व्यक्तिगतों द्वारा आर.टी.आई – आवेदनों को दायर करने की आवश्यकता को कम करेगा।

4.5 सूचना उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त स्टाफ और बजट के प्रावधानः

जन प्राधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिये सूचना के अधिकार के तहत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये पर्याप्त स्टाफ और बजट उपलब्ध करवाने की

आवश्यकता है। आयोग निरन्तररूप से राज्य सरकार को मूलभूत सरंचना जैसे कि स्टाफ, फोटोप्रतियां मशीनें, कम्पयूटरज आदि को प्रशासनिक मशीनरी के जिला एंव खंड स्तर पर मजबूत बनाने की सिफारिश कर रहा है। सरंचना की अनुपस्थिति में, कभी–2 सूचना प्राप्त करने वालों को अस्पष्ट सूचना उपलब्ध करवा दी जाती है। इन कठिनाईयों को उन प्रतिकियांओं में लगातार रूप से कहा गया है जो जनता के सदस्य, राज्य जन सूचना अधिकारी और अन्य दावेदारों के साथ की थी। इसके अतिरिक्त इनको आयोग के सामने जन सुनवाईयों में भी उठाया जा रहा है। इसलिये, सूचना उपलब्ध करवाने के लिये आर.टी. आई, एक्ट को लागू करने हेतु राज्य सरकार बजट का कुछ प्रतिशत अकिंत कर सकती है। एक्ट के तहत पदासीन अधिकारियों को लेखन सामग्री और कार्यालय उपकरणों की खरीद के लिये पर्याप्त प्रावधान किये जायें।

4.6 आर.टी.आई.–एक्ट के तहत कीमत व फीस के नियम:

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के सैक्सन 27(1) के अनुसार, अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिये राज्य सरकार को नियमों के बनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने 28 अक्तूबर, 2005 को हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2005 को अधिसूचित किया था। इन नियमों को संशोधित किया गया और संशोधित हरियाणा सूचना का अधिकार नियम 21 दिसम्बर, 2009 को अधिसूचित किये गये। ये नियम दिनांक 01.01.2010 से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिये गये । इन नियमों की प्रति अनुबंध 'बी' पर सलंग्न की गई है। वर्ष 2009 में सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के लिये निर्धारित फीस 10/–रू0 से कम करके 2 /–रू0 प्रति पृष्ठ कर दी गई और जिसका अपीलकर्ताओं द्वारा बडा स्वागत किया गया। एक्ट के सैक्सन

7 के उप सैक्सन (1) के तहत निर्धारित समय के अन्तर्गत सूचना देने को सुनिश्चित करने के लिये, हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2005 के उप नियम 4(4) में आवेदन की प्रतियों से अतिरिक्त फीस मांगने के लिये शब्द 'सात' दिनों को भी 'तत्परता' के साथ बदल दिया गया।

4.7 <u>सक्षम प्राधिकारीः–आर.टी.आई.–एक्ट,2005 के सैक्सन 2(ई) के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में परिभाषित किया गया हैः–</u>

(क) राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के मामलें में चेयरमैन

(ख) राज्य का राज्यपाल; और

(ग) उच्च न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालयों के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश।

एक्ट के सैक्सन 28(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ये सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिये अपने स्वंय के नियम बना सकते हैं। राज्य विधानसभा और राज्पाल के जन प्राधिकारियों में जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उन हरियाणा सूचना का अधिकार नियमों, 2009 का अनुसरण करने का फैसला किया है। फिर भी, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय को जन प्राधिकरण अपने नियमों नामतः पंजाब एंव हरियाणा(सूचना का अधिकार) उच्च न्यायालय ने नियम, 2007 और हरियाणा अधिनस्थ न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम,2007 जैसे कि दिनांक 31.03.2014 को संशोधित किये गये उन्ही को अधिसूचित किया है। उच्च न्यायालय के जन

प्राधिकारी ने नियमों को अपनी वैबसाईट www.highcourtchd.gov.in पर 'अपलोड' किया है।

4.8 <u>हरियाणा राज्य द्वारा जारी की गई छूट:-</u>

आर.टी.आई.-एक्ट,2005 के सैक्सन 24(4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा राज्य में निम्नलिखित छः राज्यों के इंटैलिजैंस एंव सुरक्षा संगठनों को अधिसूचना नं0 5/4/2005-1 ऐ.आर, दिनांक 29.12.2005 के माध्यम से छूट प्रदान कर दी:-

- राज्य अपराधिक जांच विभाग (सी.आई.डी.) अपराध शाखा समेत;
- हरियाणा सशस्त्र पुलिस;
- पुलिस के सुरक्षा संगठन;
- हरियाणा पुलिस दूर संचार संगठन;
- भारतीय रिजर्व बटालियन;
- कमाण्डो।

अध्याय–5

परीक्षण करना व विवरण देना

5.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जन प्राधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता को प्रोन्नत करने और उन्हें जन सामान्य के प्रति जवाब देह बनाने की ओर अग्रसर होता है। एक्ट के सैक्सन 6 और 7 में राज्य जन सूचना अधिकारियों के माध्यम से जन प्राधिकारियों के पास रखी सूचना को सूचना मांगने वालों को उपलब्ध करवाने के लिये पद्वति और समय–सारणी को निर्धारित किया गया है। एक्ट का सैक्सन 25(2) प्रत्येक विभाग या जन उपक्रम को जन प्राधिकारियों के संबंध में उनके अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आर.टी.आई–एक्ट से संबंधित आंकड़ो को संजोयें रखने और उन्हें आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करवाने के लिये आदेशित करता है। आयोग ने, जन प्राधिकारियों द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाने में अत्यधिक देरी करने जिससे ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने और इसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखने में देरी होती है, इस सब को नोट किया। आयोग को 88 जन प्राधिकारियों से आंकड़े प्राप्त हुये। शेष जन प्राधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। यहां तक जिन विभागों ने जवाब दिया उन्होंने सैक्सन 25(2) के तहत समय के अन्तर्गत आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाये और रिपोर्ट तैयार नहीं की। जन प्राधिकारियों ने जवाब दिया लेकिन देरी से, उनको अनुबंध 'ए' पर रखा गया है। एकत्रित आंकड़ों को अनुबंध 'बी' पर संलग्न किया गया है। विभागों की सूची जिन्होनें मोनिटरिंग और रिपोर्टिंग के बारे में सैक्सन 25 की आवश्यकताओं की परिपालना नहीं की अनुबंध 'सी' पर रखी हुई है।

5.2 दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 के दौरान उपलब्ध सूचना के अनुसार रिपोर्टिंग जन प्राधिकारियों द्वारा कुल 54057 आवेदन प्राप्त किये गये थे। आर.टी.आई–एक्ट,2005 के कमशः सैक्सन 8 और 9 के तहत छूट के प्रावधानों की वजह से 1277 एंव 46 केसों में सूचना तक पंहुच पर रोक लगा दी गई थी। इस तरह कुल केसों के लगभग 2.45 प्रतिशत को सूचना तक पंहुच से इनकार कर दिया गया। रिपोर्टाधीन समय के दौरान कुल 17,97,811 रूपये की राशि निर्धारित आवेदन फीस और 5,15,300 रूपये की राशि अतिरिक्त फीस के रूप में अपीलकर्ताओं द्वारा जमा करवाई गई। निपटान का वर्गीकरण और उनकी प्रतिशतता यहां पर नीचे दी गई है:–

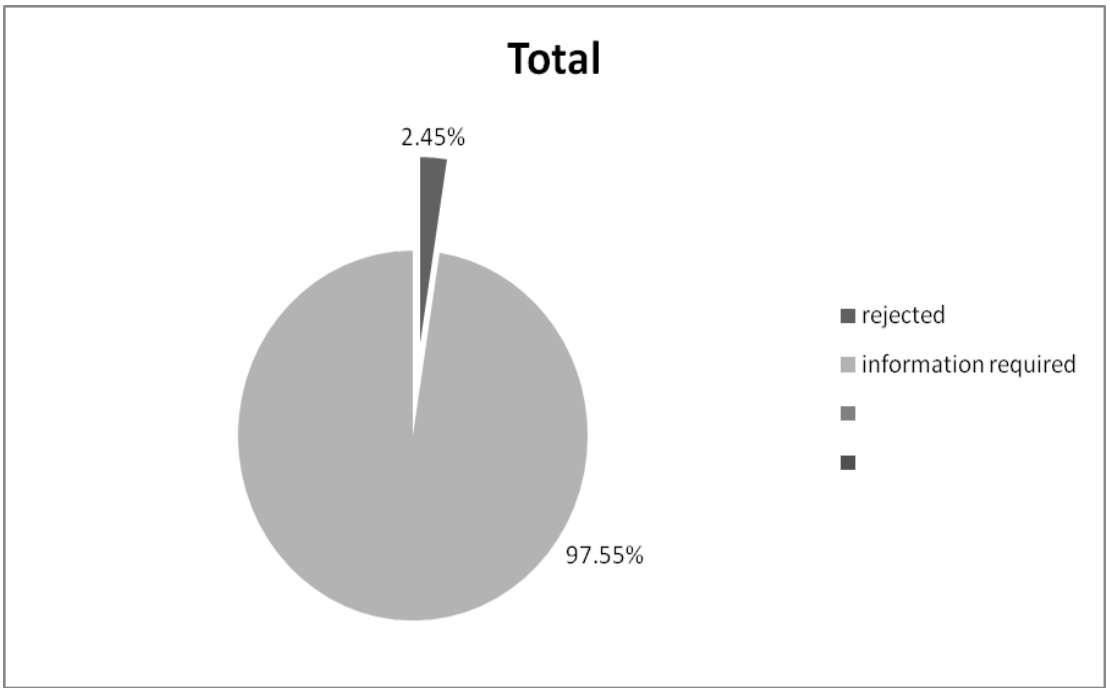

5.3 अधिनियम को प्रोन्नतरूप से लागू करने के लिये जन प्राधिकारियों से प्राप्त सुझावः–

आर.टी.आई–एक्ट, 2005 को लागू करने में सुधार लाने के लिये एक्ट के सैक्सन 25(2) के तहत रिपोर्टो के भाग के रूप में जन प्राधिकारियों से कुछ सुझाव प्राप्त किये गये हैं। ये सिफारिशें निम्न प्रकार से हैंः–

(क) कपटपूर्ण एंव लम्बी–चौड़ी सूचना आर.टी.आई–अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी जा रही है जो न केवल स्टाफ के ध्यान को बांटती है बल्कि ऐसी सूचना को एकत्रित करने में संसाधनों का भी दुर्पयोग होता है जिससे कोई भी जन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

(ख) जन प्राधिकारियों द्वारा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को राज्य जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के पदों पर नियुक्ति करनी चाहिये।

(ग) नियमित समय अंतरालों पर प्रशिक्षण और रिफरैशर– कोर्सिज करवाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

(घ) अधिनियम के तहत बी.पी.एल अपीलकर्ताओं पर सूचना मांगने के लिये कुछ प्रतिबंध लगाने चाहियें।

अध्याय – 6

शिकायतें एवं अपीलों की स्थिति

6.1 राज्य सूचना आयोग सैक्सन 18 (2) के तहत शिकायतें प्राप्त करने और जांच करने के लिये मौलिक क्षेत्राधिकार और सैक्सन 19(3) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपीलों को प्राप्त करने के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। दिनांक 01.01.2011 और 31.12.2011 के बीच में 524 शिकायतें दर्ज की गई और दिनांक 31.12.2010 से 82 केसों को आगे लाया गया। 413 केसों में आदेश पारित किये गये और दिनांक 31.12.2011 को 193 केस लम्बित पड़े हुये थे।

सैक्सन 18(2) के तहत शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

दिनांक 31.12.2010 को लम्बित केस	रिपोर्टाधीन समय के दौरान दायर की गई शिकायतें		अवधि के अर्न्तगत किये गये फैसले	दिनांक 31.12.2011 को लम्बित केस
	1.1.2011 से 31.12.2011 तक	कुल जोड़		
82	524	606	413	193

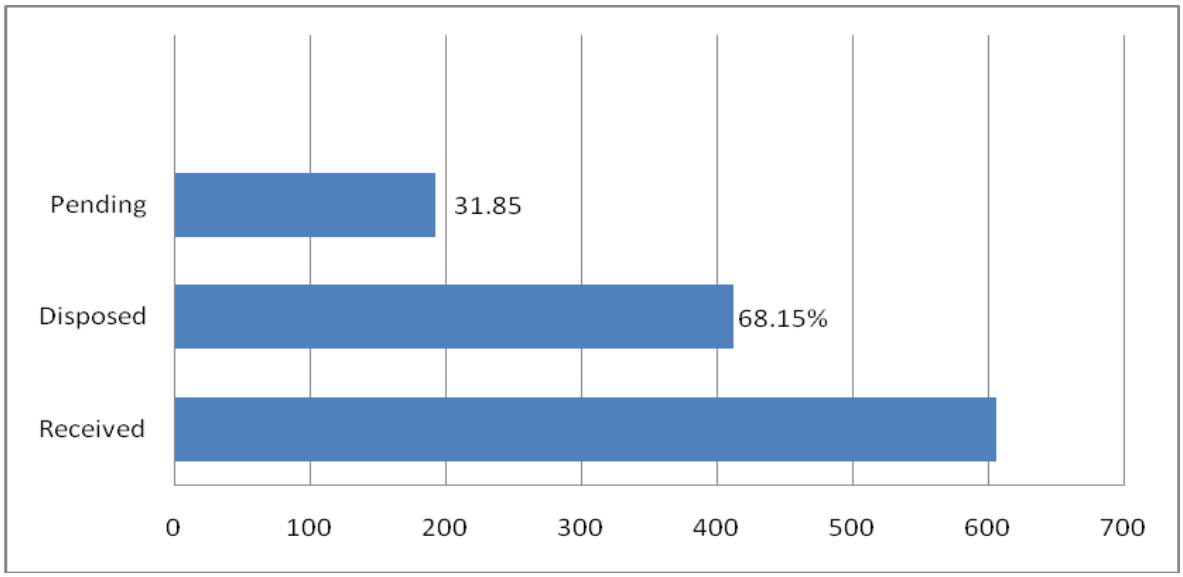

दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच 3916 अपीलें की गई थीं और दिनांक 31.12.2010 से 822 केसों को आगे लाया गया। 2859 केसों में आदेश पारित किये गये और दिनांक 31.12.2011 को 1879 केस लम्बित पडे हुये थे।

(II) सैक्सन 19(3) के तहत अपीलों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

दिनांक 31.12.2010 को लम्बित केस	रिपोर्टाधीन समय के दौरान दायर की गई शिकायतें		अवधि के अर्न्तगत किये गये फैसले	दिनांक 31.12.2011 को लम्बित केस
	1.1.2011 से 31.12.2011 तक	कुल जोड़		
822	3916	4738	2859	1879

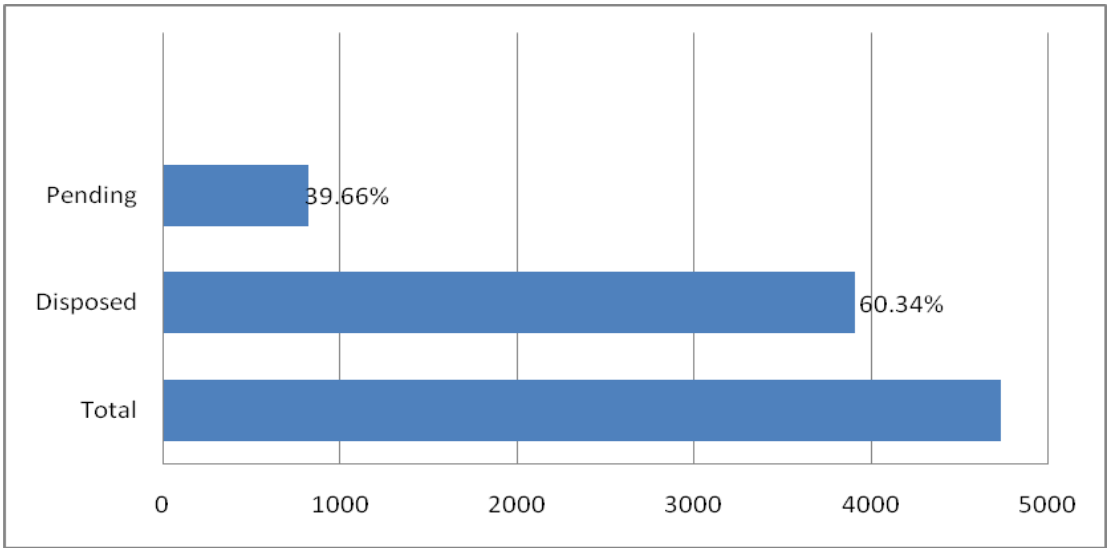

6.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अयोग ने जैसा आर.टी.आई.एक्ट, 2005 और हरियाणा सूचना के अधिकार नियम,2009 के तहत आदेशित किया गया है तदानुसार औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु अपीलकर्ताओं को आवश्यक कार्यवाही करने की समुचित सलाह देते हुए 1902 मिले जुले आवेदनों को निपटा दिया। औपचारिकताओं को पूरा करने उपरांत इन निवेदनों पर शिकायत के रूप में सैक्सन 18(2) के तहत और अपील के रूप में सैक्सन 19(3) के तहत विचार किया गया।

6.3 राज्य सूचना आयोग पार्टियों को बुलाने और सुनने के बाद शिकायतों और अपीलों का फैसला करता है। उत्तरवादी एस.पी.आई.ओ. और एफ.ए.ए से लिखित टिप्पणियां मांगी जाती है और

अपीलकर्ता प्रत्युत्तर दायर करने के लिये मुक्त होता है। केस के तथ्यों पर भी निर्भर करते हुये तृतीय पार्टियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। पार्टियों द्वारा किये गये लिखित और मौखिक प्रस्तुतीकरणों की जांच करने और सुनवाई के दौरान प्रासंगिक रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद फैसलों को उद्घोषित किया जाता है।

6.4 वर्ष 2011 के दौरान दण्ड देने की स्थिति:–

राज्य सूचना आयोग एक्ट के तहत दिये गये किसी भी दण्ड को लगाने या अवेदन को अस्वीकार करने की शक्ति रखता है। जहां पर किसी भी शिकायत या अपील का फैसला करते समय आयोग का यह मत है कि प्रथम दृष्टि में, सूचना के लिये एक आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या निर्धारित समय के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो उस अवस्था में आयोग उत्तरवादी–एस.पी.आई.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी करता हुआ आर.टी.आई. एक्ट के सैक्सन 20(1) के तहत दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, उत्तरवादी एस.पी.आई.ओ. को कोई दण्ड लगाने से पूर्व उसे सुनवाई का एक समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। यह सिद्व करने का भार कि उत्तरवादी एस.पी.आई.ओ. ने समुचित ढंग से और ईमानदारी से ध्यानपूर्वक काम किया है पदासीन अधिकारी पर होता है। अगर आयोग इस परिणाम पर पंहुचता है कि उत्तरवादी एस.पी.आई.ओ. ने समुचित ढंग से ईमानदारी से ध्यानपूर्वक काम नहीं किया है या दुर्भावनापूर्वक सूचना के लिये निवेदन को इनकार कर दिया है या जानबूझ कर गलत, अधूरी या पथभ्रामक सूचना दी है या सूचना को नष्ट कर दिया है या किसी भी तरह सूचना उपलब्ध करवाने में रूकावट डाली है तो इस अवस्था में आयोग दण्ड लगा देता है। वर्ष 2011 के दौरान 957 राज्य जन सूचना अधिकारियों या डीमड राज्य जन सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। सुनवाई के बाद, 49 राज्य जन सूचना अधिकारियों/डीमड राज्य जन सूचना अधिकारियों पर 4,46,750 रूपये की राशि का दण्ड लगाया गया। रिपोर्टाधीन केसों का विवरण अनुबंध 'डी' पर संलग्न है।

6.5 सैक्सन 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिशें:–

आयोग एक्ट के सैक्सन 20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुराचारी अधिकारियों/कर्मचारियों जो बिना किसी समुचित कारण के राज्य सूचना अधिकारी को

समय पर और सम्पूर्ण सूचना देने में असफल होते हैं, यह सब केस के तथ्यों पर निर्भर है, के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिये सक्षम है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सेवा नियमों के तहत गलती करने वाले 9 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। विस्तृत विवरण अनुबंध 'ई' पर संलग्न है।

6.6 <u>सैक्सन 19(8) (बी) के तहत प्रतिपूरक प्रदान करना</u> :

राज्य सूचना आयोग के पास, जन प्राधिकारी को इस बात के लिये आवश्यकता अनुभव करवाने की शक्तियां है कि वह शिकायतकर्ता की किसी हानि या अन्य सहन किये गये नुकसान के लिये उसे प्रतिपूरक प्रदान करे। आयोग ने 257 अपीलकर्ताओं को 5,25,984 रूपये की राशि का प्रतिपूरक प्रदान किया। प्रतिपूरक के केसों की सूची अनुबंध 'एफ' पर संलग्न है।

6.7 <u>न्यायालय के केसः–</u>

पीड़ित पार्टियों को आयोग के फैसलों के विरूद्व पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ में सिविल रिट याचिका दायर करने का अधिकार है। क्योंकि आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तहत अपनी वैधानिक क्षमता में मामलों का फैसला करता है इसलिये इसने इसके वैधानिक फैसलों के विरूद्व 'याचिकाओं का प्रतिवाद' न करने का फैसला किया गया।

6.8 <u>राज्य सूचना आयोग में 'इनटर्नस' को स्वीकार करना</u> :

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और युवा कानून के विद्यार्थी–विद्यार्थियों को 'इनटर्नस' के रूप में स्वीकार करने और केसों का फैसला करते समय आयोग की कानूनी कार्रवाई का अवलोकन करने के लिये आयोग के पास आये। आयोग ने उनके सादर अनुरोधों को स्वीकार कर लिया। वर्ष 2011 के दौरान कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के कानून विभाग ने दस उम्मीदवारों और प. बंगाल न्यायिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कोलकता ने एक विद्यार्थी को 'इन्टर्नशिप' के लिये सिफारिश की।

6.9 <u>आयोग की वैबसाईट और ई–मेल पता</u> :–

आयोग की वैबसाईट www.cicharyana.gov.in प्रयोग के लिये तैयार है। शिकायतों और अपील केसों पर पारित किये गये आदेश और 'कॉज सूची' को वैबसाईट में प्रतिस्थापित किया जा रहा है। आयोग का ई–मेल पता ussichry@yahoo.co.in है।

6.10 **सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी)' इनेबलमैंट' के लिये केन्द्रीय सहायता:–**

कर्मचारी वर्ग कल्याण, जन शिकायत और पेंशन, कर्मचारी वर्ग कल्याण एंव प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के केन्द्रीय मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीम के तहत सूचनाधिकार अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये "शक्तिशाली, क्षमता निर्माण और जागृति सृजन" के लिये पहल के तहत 'आई टी इनेबलमैंट' के लिये 30 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। इस स्कीम का उद्देश्य कम्प्यूटरज, वर्तमान वैबसाईट का स्तर बढ़ाना, फाईल खोज प्रणाली, एस एम एस के माध्यम से आवेदन की स्थिति रिकार्ड का 'डिजीटाईजेशन', विडियो कान्फ्रैंसिंग सुविधा की व्यवस्था करने के रूप में आयोग की संरचना को मजबूत बनाना है। भारत सरकार ने कुल स्वीकृत राशि 30 लाख रूपये का 70 प्रतिशत 21 लाख रूपये की राशि को जारी कर दिया है। विडियो कान्फ्रैंसिंग सुविधा शेष 30 प्रतिशत राशि को जारी करने की कमी के कारण पूरी नहीं की जा सकी।

अध्याय 7

अधिनियम के बारे में जागृति का सृजनः

7.1 सूचना अधिकार अधिनियम राज्य सरकार को जनता में विशेषकर अहितकारी सम्प्रदायों में जागृति पैदा करने के लिये और एक्ट के तहत वर्णित अधिकारों का कैसे उपयोग करने के बाबत कार्यक्रमों का विकास और आयोजित करने के लिये निर्देशित करता है। अधिनियम के सैक्सन 26 का उप सैक्सन 1(डी) सरकार पर जन प्राधिकारियों के राज्य जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और जन प्राधिकारियों के प्रयोग के लिये प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी डालता है। आयोग ने अपनी पूर्वोत्तर रिपोर्टों में एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करवाने के लिये जनता के प्रशिक्षण और जानकारी हेतु एक कार्यक्रम को शुरू करने का सुझाव दिया है। सरकार का जवाब निम्न प्रकार से हैः–

(क) ए.एस.पी.आई.ओस/एस.पी.आई.ओस/एफ.ए.ए के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

राज्य सरकार ने इस बारे में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, हरियाणा, (हिप्पा) गुड़गांव को नोडल एजेंसी के रूप में पदासीन किया है। हिपा द्वारा पदासीन अधिकारियों जिसमें ए.एस.पी. आई.ओस/एस.पी.आई.ओस और एफ.ए.ए शामिल हैं को नियमित अन्तरालों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिपा से प्राप्त आंकड़ो व तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान एजेंसी ने नियमितरूप से विभिन्न जन प्राधिकारियों के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने, प्रशिक्षित करने और उन्हें अधिनियम की अन्तरंग भावना को अच्छी तरह समझने के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है जैसा कि प्रशिक्षण 'डाटा' राज्य प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त हुआ है वह निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	समूहों की संख्या	प्रशिक्षण दिये गये कर्मचारियों की कुल संख्या	किया गया खर्च
2011	21	864	13.54 लाख रूपये

(ख) **डायरैक्टरी और यूजर गाईड का प्रकाशन :–**

आयोग ने अपनी प्रथम और द्वितीय रिपोर्ट में सिफारिश की कि अधिनियम के तहत सूचना की पहुंच तक अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नागरिकों की सहायता हेतु राजकीय भाषा में एक मार्गदर्शिका(गाईड) का संकलन करना चाहिए। पदासीन एस.ए.पी.आई. ओस/एस.पी.आई.ओस और एफ.ए.ए की एक निर्देशिका (डायरैक्टरी) तैयार करने की सिफारिश भी आयोग ने की । हिप्पा, गुड़गांव, राज्य प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 2008 में आर. टी.आई.–एक्ट एक 'यूजर गाईड' और एक 'रैडी रैक्नर' के साथ राज्य के नागरिकों के प्रयोग करने के लिये एक निर्देशिका(डायरैक्टरी) का हिन्दी और अग्रेंजी में प्रकाशन किया। आयोग सिफारिश करता है कि जन प्राधिकारियों के पदासीन एस.ए.पी.आई.ओस/एस.पी.आई. ओस/एफ.ए.ए के परिवर्तनों के दृष्टिगत निर्देशिका का अध्यत्तन करने की आवश्यकता है।

अध्याय – 8

सुधार के लिए सिफारिशें

सूचनाधिकार अधिनियम, राज्य सूचना आयोग के साथ–2 जन प्राधिकारियों पर भी अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये उपायों का सुझाव देने की जिम्मेदारी डालते है। आयोग ने राज्य सरकार और जन प्राधिकारियों को निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(क) आयोग नोट करता है कि अधिनियम के सैक्सन 4 की परिपालना में सूचना की विषय–वस्तु और अध्यन्न की दृष्टि से मुख्य सुधार की आवश्यकता है। यह अवलोकन किया गया है कि राज्य सरकार के बार–2 निर्देशों के बावजूद जैसा कि एक्ट के सैक्सन 4(1)(बी) के तहत आदेशित किया गया है बहुत बड़ी संख्या में जन प्राधिकारियों ने सूचना को अपनी–2 'वैबसाईट' पर 'अपलोड' नहीं किया है। वैबसाईट का अध्यतन करना वह क्षेत्र है जहां जन प्राधिकारियों के मुखिया को संवेदनशील बनाने की और इसे आगे सुचारू ढंग से चलवाने के लिये जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है। सूचना का पहले ही सक्रिय ढंग से प्रकटीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही की तरफ मार्ग को प्रशस्त करेगा। यह आर.टी.आई–प्रश्नों के जवाब देने वाले जनप्राधिकारियों के भार को भी कम करेगा। इस संबंध में जन प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने और 'हाऊस मानिटरिंग प्रणाली' को स्थापित करने के लिये सरकार से निवेदन किया जाता है।

(ख) आयोग निश्चित समय के दौरान प्रशिक्षण संरचना को मजबूत बनाने और अपने एस.पी.आई. ओस/एफ.ए.ए/रिकार्ड के संरक्षको को प्रशिक्षित करने के लिये जन प्राधिकारियों के लिये कानूनन बाध्य करने की सिफारिश करता है। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। एक प्रशिक्षित पदासीन कर्मचारी जन प्राधिकारी के लिये एक सम्पत्ति होगा। इससे अपीलों और शिकायतों की संख्या में कमी आयेगी। नागरिक निश्चित रूप से लाभ के पात्र होंगे जब उनकी आर.टी. आई आवेदनों पर कुशलता और सही ढंग से कानूनी कार्रवाई होगी।

(ग) आयोग अपनी गत वार्षिक रिपोर्ट में की गई सिफारिश को दोहराता है कि अधिनियम को लागू करने के प्रति उनके व्यवहार पर टिप्पणी को रिकार्ड करने के लिये अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट की रूपरेखा में एक विशेष स्तम्भ शामिल कर दिया जाये। एस.पी.आई.ओ और

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की स्वतः मूल्यांकन रिपोर्ट में आवेदनों/अपीलों की प्राप्त की गई और निपटाई गई संख्या की सूचना अवश्य सम्मिलित होनी चाहिये।

(घ) नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ी हुई संवेदनशीलता के लिये राज्य जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। एस.पी.आई.ओ के प्रशिक्षण का एक वृहद दौर अधिनियम के तहत उन पर डाली गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये सक्षम बनाने हेतु अवश्य ही चलाया जाये।

(ड़) आयोग सिफारिश करता है कि अधिनियम के सैक्सन 27 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करके राज्य सरकार दण्ड के रूप में राशि की वसूली को मानिटर करने का एक तन्त्र स्थापित करती है। यह नोट किया गया है कि जन प्राधिकारियों उदाहरणतया शहरी स्थानीय निकाय, विकास एंव पंचायत, हुडा, शिक्षा आदि आयोग के आदेशों को अन्तिमरूप देने के बाद भी सरकारी कोष में दण्ड की राशि को जमा करवाने की परवाह तक नहीं करते।

(च) आयोग राज्य सरकार को सिफारिश करता है कि सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना के अधिकार के तहत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये जन प्राधिकारियों को पर्याप्त स्टाफ और बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तंत्र के जिला और खंड स्तरों पर मूलभूत संरचना जैसे स्टाफ, फोटोप्रति मशीनें, कम्प्यूटर आदि को मजबूत करने की जरूरत है। आर.टी.आई–एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके कियान्वयन के लिये कड़ी समय सीमा है और देरियों के लिये संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी के ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जैसे ही एक्ट अधिक लोकप्रियता प्राप्त करता है तो आर.टी.आई आवेदनों की संख्या असाधरण रूप से बढ़ने की आशा की जाती है।

पारदर्शिता अधिनियम ने सभी स्तरों पर शामिल और सरकार के बीच हुये संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने नागरिकगण को शक्तिवान बनाया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 ने नागरिकों के बीच एक सुदृढ़ स्वामीत्व की भावना का संचार किया है जो अपने आप में अद्वितीय है।

रिकार्ड प्रबन्धन

अधिकतर जन प्राधिकारियों में रिकार्ड प्रबन्धन की दुर्दशा, समय–बद्व ढंग से सूचना उपलब्ध करवाने में जन सूचना अधिकारियों द्वारा एक मुख्य रूकावट का सामना करना पड़ रहा है।

आर.टी.आई–एक्ट,2005 का सैक्सन 4(1)(ए) प्रत्येक जन प्राधिकारी पर अपने रिकार्डो का समुचित ढंग से प्रंबंधन व तीव्रता से कम्प्यूटराईज करने की जिम्मेदारी डालता है। फिर भी, इस क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी है। राज्य सरकार की रिकार्ड को संजोयें रखने की समयसारणीं अनुसार सर्वोत्तम रिकार्ड प्रबन्धन के लिये रिकार्ड का वर्गीकरण करने के लिये पग उठाने की जरूरत है। जन प्राधिकारियों के अनुभागों में रिकार्ड को संजोयें रखने की समय–सारणी के अनुसार छटनी किये जाने वाले रिकार्ड के समेत सारे रैक भरे पड़े हैं जिससे सूचना मांगने वाले द्वारा मांगी गई सूचना को तलाश करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इससे 'डिजिटाईजेशन' का कार्य जैसा कि यह है उसकी अपेक्षा बहुत हतोत्साहित करने वाला बन जाता है।

राज्य की नोडल एजेंसियां सैक्सन 4 के प्रावधानों की परिपालना के लिये जिम्मेदार एक या अधिक जन सूचना अधिकारियों को पदासीन करने के लिये जन प्राधिकारियों को निर्देशित करना चाहिये। जन प्राधिकारियों विशेषकर वे जिनके जनता के साथ अधिक संबंध है और बड़ी संख्या में आर.टी.आई–आवेदन प्राप्त कर रहे हैं उनको निश्चित समय–2 के अन्तरालों पर विभिन्न प्रकार की सूचना जो प्रायः रखनी चाहिये तथा सुनिश्चित करना चाहिये कि यह स्वतः ही उपलब्ध करवाने के लिये सकिय हो। सूचना का स्वतः प्रकटीकरण प्रवर्धित पारदर्शिता और जवाब देही की तरफ मार्ग प्रशस्त करेगा और आर.टी.आई–प्रश्नों के जवाब देने में जन प्राधिकारियों के कार्यभार को कम करेगा।

आर.टी.आई–अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचना का एक सन्तुलित पुर्न–निरीक्षण जन प्राधिकरण के अन्दर सुव्यवस्थित उपयोगी हो सकता है।

अनुबंध – 'क'

हरियाणा सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या 99/सी.ए 22/2005/एस 27/2009 – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) की धारा 27 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2009 कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम जनवरी, 2010 से लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, – –

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 (2005 का अधिानियम 22);

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना आयोग;

(ग) "आदर्श प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संग्लन आदर्श प्ररूप;

(घ) "धारा" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, किन्तु परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे जो इन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन – धारा 2 (ड), 6 तथा 27

3. (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, इन नियमों के नियम 5 के उप–नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्ररुप 'क' में आवेदन करेगा ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन मिल गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, आवेदन को इसके टोकन की रसीद देगा ।

फीस जमा करना अधिनियम की धारा 6

4. (1) फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास या तो उचित रसीद सहित नगदी में या बैंक ड्राफट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा निम्नांकित शीर्ष में जमा करवाई जायेगी: –

मुख्य शीर्ष	...	0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं
उप – मुख्यशीर्ष	...	60 – अन्य सेवाएं
लघु शीर्ष	...	800 – अन्य प्राप्तियां
उप – शीर्ष	...	86 – शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
विस्तृत शीर्ष	...	0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – 60 – अन्य सेवाएं – 800 – अन्य प्राप्तियां – 86 – शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत.

(2) शुल्क की राशि उप–नियम (1) में संदर्भित शीर्षक में जमा की जाएगी: परन्तु राज्य के बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत निकाय आवश्यक शुल्क को अपने द्वारा बनाए गए खातों में जमा करवा सकते हैं ।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा तथा निर्धारित करेगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संघ की जानी अपेक्षित है ।

(4) उप–नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श प्ररूप 'ख' में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा शीघ्रता से आवेदक को सूचित की जाएगी ।

(5) यदि आवेदक उप–नियम (4) के अधीन उसको दी गई सूचना के जारी होने के बाद पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा ।

फीस की प्रमात्र धारा 6 तथा 7

5. (1) धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 50/– रूपये की फीस के साथ होगा।

(2) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थातः–

(क) ए–4 या ए–3 आकार के कागज पर बनाई गई प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिये 2/– रूपये; तथा

(ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बडे आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो वास्तवित लागत प्रभारित की जाएगी।

(3) धारा 7 की उप–धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) फलोपी में सूचना प्राप्त करने के लिए 50/– रूपये;

(ख) डिस्किट में सूचना प्राप्त करने के लिए 100/–रूपये:–तथा

(ग) यदि चाही गई सूचना वैसे स्वरूप की है, जो कि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसका मूल्य नियत किया गया है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियत मूल्य प्रभारित करने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी । तथापि, यदि, केवल ऐसे मुद्रित दस्तावेज का उदाहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब 10/– रूपए प्रति पृष्ठ की फीस प्रभारित की जाएगी ।

(4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तब प्रथम घण्टे से अधिक प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए 10/– रूपए की फीस प्रभारित की जाएगी । उपरोक्त पन्द्रह मिनट की अवधि का प्रत्येक अंश पन्द्रह मिनट की पूर्ण अवधि के रुप में अनुमानित किया जाएगा तथा यह पन्द्रह मिनट की संपूर्ण अवधि के रुप में प्रभारित किया जाएगा ।

अपील प्राधिकारियों के समक्ष अपील की प्रक्रिया धारा 19(1) तथा (3)

6. (1) अपील के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात :–

(क) अपीलार्थी का नाम व पता, जिसमें दूरभा ।/मोबाईल नम्बर/ई–मेल पता, यदि कोई हो, सम्पर्क का विवरण शामिल हो;

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय पदनाम तथा पता;

(ग) प्रथम अपील प्राधिकारी का सरकारी पद तथा पता जिसके निर्णय के विरूद्व अपील दायर की गई है;

(घ) संख्या, यदि कोई हो, सहित आदेश के विवरण जिसके विरूद्व अपील की गई है;

(ड) अपील में जाने के लिए संक्षिप्त तथ्य;

(च) प्रार्थना या चाही गई राहत;

(छ) प्रार्थना या राहत के लिए आधार;

(ज) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; तथा

(झ) अन्य कोई सूचना जो आयोग अपील नि र्य करने हेतू आवश्यक समझें ।

(2) अपीलार्थी सरकारी प्रयोजन के लिए अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियां पेश करेगा ।

(3) आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होनी चाहिए, अर्थात :–

(क) आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिसके विरूद्व अपील दायर की जानी है;

(ख) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट किए गए विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां;और

(ग) अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों की सूची;

परन्तु मामले के पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर अपील खारिज नहीं की जाएगी लेकिन औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु अपीलार्थी को कहा जाएगा ।

अपील नि र्य करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 19 (10)

(7) अपील का नि र्य करने से पूर्व आयोग, :–

(क) सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस तामील करेगा;

(ख) अपील के सर्मथन में कोई साक्ष्य लेगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों से मौखिक या लिखित रुप में लिया जा सकता है;

(ग) सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ पत्र लेते हुए निरीक्षण करेगा;

(घ) दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों को पेश करेगा या निरीक्षण करेगा;

(ड) किसी अपील के तथ्यों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जांच करेगा या विस्तार में तथ्यों की अपेक्षा करेगा यदि ऐसा समुचित प्रतीत हो, राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था जैसी भी स्थिति हो, की सुनवाई करेगा; तथा

(च) राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था या कोई अन्य व्यक्ति जिससे साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, से शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा।

नोटिस के तामील का ढंग
धारा 19(10)

8. आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित ढंगों में से किसी एक में नोटिस तामील कर सकता है, अर्थात् :–

(क) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से (दस्ती);

(ख) रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, पोस्टल प्रमाण–पत्र, के अधीन, कूरियर या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, यदि ई–मेल पता दिया गया हो; या

(घ) समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा।

अपीलार्थी या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति
धारा (19)

9. अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को, जैसी भी स्थिति हो, सुनवाई की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन ठीक पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है तो आयोग मामले का गुणागुण आधार पर निर्णय करेगा:

परन्तु जहाँ आयोग की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियांविद्यमान है जिनके कारण शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को आयोग की सुवाई में उपस्थित होने से रोका गया है तब वह शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को अन्तिम निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के लिये दूसरा अवसर प्रदान कर सकता है।

आयोग द्वारा आदेश
धारा 19(10)

10. (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा तथा सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसे सुनाएगा।

(2) सम्बद्ध पक्षकार, आयोग से, आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है।

निरसन, तथा व्यावृति.

11. हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के अनुरूप उपबन्ध के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

आदर्श प्ररूप 'क'

{देखिए नियम 3 (1)}

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी/

राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

(पते सहित कार्यालय का नाम)

(1) आवेदक का पूरा नाम

(2) पता

(3) अपेक्षित सूचना के विवरण–

(i) सूचना की विषय–वस्तु*

(ii) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित**

(iii) अपेक्षित सूचना का वर्णन***

(iv) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है(वास्तविकता डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)

(v) यदि डाक द्वारा (सामान्य, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

स्थानः

तिथिः

* **निर्दिष्ट किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसा कि अनुदान/सरकारी भूमि/ सेवा मामले/ अनुज्ञप्तियां इत्यादि)।**

** **सम्बद्ध अवधि जिसके लिए सूचना निर्दिष्ट की जानी अपेक्षित है।**

*** **सूचना के विशिष्ट विवरण निर्दिष्ट किये जाने अपेक्षित है।**

पावती

आपका आवेदन दिनांक..... डायरी संख्या .....दिनांक..... द्वारा प्राप्त हुआ।

लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर

(विभाग/कार्यालय का नाम).....

आदर्श प्ररूप 'ख'

{ देखिए नियम 4(4) }

प्रेषक

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम।

सेवा में

आवेदक का नाम

आवेदक का पता।

महोदय,

1. कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित किए गए आपके आवेदन दिनांक.....के संदर्भ में।
2. यह सूचना भेजने के लिए अतिरिक्त फीस .....रूपये है।
3. आपको हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 के नियम 4 के उप–नियम (1) में यथावर्णित किसी एक ढंग के माध्यम से अर्थात् या तो उचित रसीद के साथ नकदी में, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है, तथा इस कार्यालय को उसके सबूत की एक प्रति भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि आपको अपेक्षित सूचना दी जा सके।
4. यदि आप उपरोक्त अनुमान से असन्तुष्ट हैं तो आपको अपीलीय प्राधिकारी..... (विभाग का नाम) के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी

उर्वशी गुलाटी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

अनुबंध – 'ख'

अवधि 1.1.2011 से 31.12.2011 सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एंव उनके निपटान का रजिस्टर

कमांक	लोक प्राधिकरण का नाम	प्राप्त प्रार्थना पत्रें की संख्या	अधिनियम में निहित व्यवस्थाओं अनुसार (संक्षिप्त कारणों सहित) अस्वीकार प्रार्थना पत्रों की संख्या		सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के कारण किसी भी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई		प्राप्त शुल्क राशि (रूपयों में)		इस अधिनियम के प्रबंध, भावना व आश्य हेतु लोक प्राधिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों की वास्तविक रिपोर्ट	इस अधिनियम के विकास/उत्थान/नवीनीकरण/सुधार संशोधन अथवा अन्य कानून निर्माण व सामान्य नियम या किसी अन्य बात जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हो और उन पर की गई कार्यवाही संबंधी अगर कोई संस्तुति प्राप्त हुई हो।
	1	2	3		4		5		6	7
			क	ख	क	ख	क	ख		
			धारा 8 के अंतर्गत	धारा 9 के अंतर्गत	आयोग की सिफारिश पर	अन्यथा	आवेदन की फीस 6(1)	अभिलेखों की फीस 7(3)		
विभागाध्यक्ष										
1	कृषि निदेशक	309	2	0	0	0	12515	3834	जन प्राधिकारियों द्वारा इस एक्ट को लागू करने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।	–
2	सी0आई0डी0 (ए0डी0जी0पी0 सी0आई0डी0(एच0)	122	47	0	0	0	4450	341	–	–
3	विकास एंव पंचायतें (निदेशक)	270	0	0	0	0	4755	342	–	–

4	स्कूल शिक्षा (निदेशक)	5149	0	0	0	0	11540	5000	–	
5	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (निदेशक)	1762	0	0	0	0	22429	1239	अपीलीर्थियों को आर.टी.आई.एक्ट, 2005 से संबंधित जानकारी एंव मार्गदर्शन प्रदान किया गया।	–
6	चुनाव (चुनावी प्रमुख)	388	0	2	0	0	7246	4373	आर.टी.आई नियम के अनुसार समय पर जानकारी प्रदान की गई।	
7	विद्युतीय एंव सूचना प्रोंद्यौगिकी (निदेशक)	30	0	0	0	0	550	442	एक्ट के कार्यान्वयन के लिये भरसक प्रयास किये गये।	–
8	रोजगार (निदेशक)	124	1	2	0	0	4850	246	0	–
9	स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशक)	1425	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपेक्षित फीस से कम फीस का भुगतान करने के कारण पांच आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।	0	0	0	85117	898	जन प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम की भवना और मंशा को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	–
10	ई.एस.आई (निदेशक)	73	0	0	0	0	2485	440	अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये प्रयास किये गये ।	–
11	गृह रक्षी एंव नागरिक सुरक्षा (सामान्य नियंत्रण)	76	0	0	0	0	1550	1911	जन सूचना अधिकारी और APIO's हर जिले में नियुक्त किये गये है व उन्हें अधिनियम के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।	–

12	बागवानी विभाग (निदेशक)	127	5	4	1	3	4250	3798	0	8048
13	सत्कार विभाग (निदेशक)	8	0	0	0	0	50	50	इस अधिनियम की भावना व मंशा को लागू करने के लिये रिपोर्टे व्यवस्थापक के तहत वास्तविक तथ्यों पर आवेदक को उपलब्ध कराई गई।	–
14	उद्योग एंव वाणिज्य(निदेशक)	569	8	0	500	9890	23228	11588	–	–
15	विधि एंव विधयी विभाग (एल0आर0 एवं सचिव)	42	0	0	0	0	820	1120	–	–
16	खान एंव भूविज्ञान विभाग (निदेशक)	126	0	0	0	0	4490	2667	–	–
17	पुलिस विभाग (सामान्य निदेशक)	17782	305	7	0	0	728739	175233	–	–
18	लोक निमार्ण विभाग (बी0 एंड आर0)(ई0आई0सी)	1600	1	0	9	0	36593	23731	इस अधिनियम की भावना और मंशा को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	
19	ग्रामीण विकास विभाग (निदेशक)	157	0	0	0	0	3300	965	–	–
20	विज्ञान एंव तकनीकी विभाग (निदेशक)	24	0	0	0	0	300	472	–	–
21	खेल एंव युवा कल्याण (निदेशक)	96	0	0		4203	356	0	–	–
22	आपूर्ति एंव निपटान विभाग (निदेशक)	18	0	0	0	0	900	7598	–	–

23	तकनीकी शिक्षा विभाग (निदेशक)	1082	0	0	0	0	24887	10051	1. धारा 4(1) की उप धारा (बी0) की आवश्यकताओं के अनुसार वेबसाईट पर रखते हुये जनता को अधिक से अधिक सूचना उपब्धत करवाने के लिये कदम उठाये गये हैं। 2. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य जन सूचना अधिकारियों को पदासीन किया गया है। 3. आर.टी. आई –एक्ट के अन्तर्गत पदासीन राज्य जन सूचना अधिकारियों के नाम नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवाये गये है। 4. आर.टी.आई आवेदन और हरियाणा आर.टी.आई नियम 2005/2009 के अनुसार शुल्क की मात्रा का स्वरूप भी जानकारी चाहने वालों की सुविधा के लिये नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। 5. इस अधिनियम के तहत सूचना निर्धारित समय अर्थात् 30 दिनों के अन्दर प्रदान की जा रही है।	–

24	नगर एंव ग्राम आयोजना	350	0	0	0	0	17938	4539	नियमो के तहत अनुपालना की जाती है और केसों का निपटारा कर दिया गया है। एक्ट को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये ईमानदारी से प्रयास किये गये।	
25	परिवहन आयुक्त	1896	धारा 18 के अंतर्गत 3	धारा 19 के अंतर्गत 6	1	3	47530	1096	आर.टी.आई. एक्ट की मंशा व भावना को लागू करने के लिये प्रत्येक आवेदन पर अपीलार्थियों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाई गई।	अधिकतर सूचना ड्राईविंग लाईसंस बारे और गाड़ी के स्वामित्व तथा पंजीकरण से संबंधित होती है। अतः उक्त मामले से संबंधित सूचना देश की विभिन्न माननीय अदालतों जिनमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तहत अधिवक्ता संलग्न किये जाते हैं द्वारा दी जा सकती है। परन्तु कई मामलों में कार्यकर्तो द्वारा यह सूचना मांगी जाती है कि इस कार्यालय की स्थापना की तिथि से कितने ड्राईविंग लाईसेस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं और किस प्रकार की कितनी गाड़ियां पंजीकृत की गई है। वास्तव में यह सूचना उनसे संबंधित नही होती। यह केवल सार्वजनिक निपटान कार्यालयों में नियुक्त अमले को परेशान करने वाली होती है। भारत सरकार का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद प्रार्थी को सूचना का अधिकार प्रदान करना है इसलिये इस बारे में माननीय सूचना आयोग को कुछ सुझाव दिये जायें।

26	राज्य परिवहन नियत्रंक (राज्य परिवहन)	537	0	0	0	0	11940	3969	मुख्य कार्यालय तथा जन सूचना अधिकारियों द्वारा समय –2 पर दिये गये निर्देशों के अनुसार आर.टी.आई एक्ट को लागू करने के लिये प्रयास किये गये।	
27	शहरी स्थानीय निकाय (निदेशक)	2022	255	0	0	0	91960	19889	इस अधिनियम की प्रकिया की उपयोगिता के बारे में स्टाफ को अवगत किया गया तथा इसे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है ताकि इस कार्यालय का दौरा करने वाली जनता को अधिनियम की उपयोगिता के बारे में सिखाया जा सके है और इस एक्ट के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रकिया का भी ज्ञान दिया जा सके।	–
28	राज्य सतर्कता ब्यूरो (निदेशक)	39	0	0	0	0	850	235	10 (समय–2 पर उच्च अधिकारियों से निर्देश रिकार्ड का पालना किया जा रहा है।)	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ज्यादातर सूचना अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान करने बारे है। अतः अनुरोध है कि असली सूचना को ही तसदीक किया जाये और धोखाधड़ी से प्राप्त करने वाले सूचना प्रार्थी को हतोत्साहित किया जाये। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को डील करने के लिये पृथक अमला नियुक्त किया जाये।

29	खाद्य और औषधि प्रशासनिक हरियाणा (आयुक्त)	94	0	0	0	0	2650	900	एक्ट की भावना और मंशा को लागू किया जा रहा है।	–
30	रजिस्ट्रार, एम.डी.यू, रोहतक	2150	0	0	0	0	85708	25965	0	–
31	चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान हरियाणा	25	0	0	0	0	790	0	अपीलों का समय पर निपटान करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ अपीलों को एक सप्ताह के अन्दर निपटा दिया गया।	
32	गृह विभाग	80	0	0	0	0	2870	0	0	–
	कुल योग	38552	624	15	511	14099	1247636	312932	0	–

बोर्ड एवं निगम

1	कृषि विपणन बोर्ड (अध्यक्ष)	49	0	0	0	0	2155	446	–	–
2	सहकारी विकास प्रसंग लि0 (अध्यक्ष)	1	0	0	0	0	50	50	अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रफोंर्मो को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया है।	–
3.	सहकारी आवास संघ लि0 (अध्यक्ष)	36	0	0	0	0	1860	1796	आर.टी.आई एक्ट 2005 की मंशा व भावना को लागू किया गया तथा आवश्यक जानकारी को समय पर उपलब्ध करवाया गया।	किसी से भी कोई अनुशंसा प्राप्त नही हुंई।
4.	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड (अध्यक्ष)	40	5	0	0	0	850	712	0	–
5.	सहकारी आपूर्ति एंव विपणन प्रसंग लि0 (हैफेड़) (अध्यक्ष)	248	0	0	0	0	10735	11850	आर.टी.आई. एक्ट के तहत अपीलार्थियों को जानकारी प्रदान की गई।	–

6.	बिजली उत्पादन निगम (एच. पी.जी.सी एल)(अध्यक्ष)	333	1	0	0	0	11260	19957	आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गतत विभिन्न अपीलार्थियों को 30 दिनों के अन्दर–2 संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई एक्ट के भावना व मंशा को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये गये।	जब भी सक्षम प्राधिकारी से इस एक्ट मे संशोधन/विकास/सुधार/आधुनिकीकरण के लिये अनुशंसा प्राप्त होगी तो उसका सख्ती से अनुपालन किया जायेगा और समय पर कार्रवाई की जायेगी।
7.	इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि0 (हाट्रोन) (अध्यक्ष)	77	0	0	0	0	2400	2132	एक्ट के कार्यान्वयन के लिये भरसक प्रयास किये गये।	–

8.	वित्त निगम (एच.एफ.सी) (अध्यक्ष)	84	8	0	0	0	3850	4734	1. अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी0)(1) से (17) तक वर्णित दस्तावेजों के प्रकाशन संबंधि कार्यवाही की परिपालना सभी सूचना निगम की वेबसाईट www.hfcindia.org पर उपलब्ध करवाकर पहले ही कर दी गई है। 2. निगम द्वारा मुख्यालय पर राज्य जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति/ पदासीन कर दिया गया है। निगम ने आगे शाखा प्रबंधकों को ग राज्य जन सूचना अधिकारियों को शाखा/जिला स्तर पर भी पदासीन कर दिया है। 3. मुख्यालय पर निगम का प्रबंधक निदेशक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। इस अधिनियम के प्रचार करने के संबंधा में निगम ने एक परिपत्र दिनांक 30.11.2005 और 1.12. 2005 को जारी किया था सभी शाखा/जिला स्तार के शाखा व्यवस्थापको/राज्य जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारी का विस्त्त विवरण भी सूचना पटल पर प्रर्दिशत करने के	–
9.	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड (अध्यक्ष)	40	5(कम फीस प्राप्त होने की वजह से)	0	0	0	850	712	0	–

10.	राज्य सैनिक बोर्ड (सचिव)	58	0	0	0	0	2020	492	–	–
11.	नवीकरण उर्जा विकास ऐजेंसी (हरेडा) (अध्यक्ष)	22	0	0	0	0	200	0	–	–
12.	बीज प्रमाणीकर्ण संस्था (अध्यक्ष)	6	0	0	0	0	200	0	–	–
13.	बीज विकास निगम समीति (अध्यक्ष)	58	0	0	0	0	2900	2254	–	–
14.	पर्यटन विकास निगम (अध्यक्ष)	89	0	0	0	0	2950	2672	–	–
15.	शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) (मुख्य प्रशासक)	2828	0	0	0	165	1153 85	20668	जन प्राधिकरी एंव प्रथम अपीलीय अधिकारी को आर.ओ.आई एक्ट की भावना को लागू करने के लिये दिशा निर्देश प्रदान किये गये।	–
16.	भण्डारण निगम (अध्यक्ष)	110	0	0	0	0	4550	6124	–	–
17.	लोकायुक्त हरियाणा	63	0	0	0	0	2550	3 225	ब्यौरा अनुबंध 'क' के साथ में है।	ब्यौरा अनुबंध 'क' के साथ में है।
18.	श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड गुडगांव	13	0	0	0	0	620	1820	मेलों के समय और अन्य प्रकार से भी जनता को सूचना अधिकार अधिनियम के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है।	–
19.	चौधारी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय	491	0	0	0	0	4583	26712	–	–
20.	कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा	2646	600	3 0	0	0	1003 65	0	सूचना अधिकार अधिनियम के को लागू करने के लिये जन प्राधिकारी द्वारा प्रयास किये गये आयोग द्वारा अपनी website: www.hss.gov.in लांच की गई।	–

21.	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा	144	0	0	0	0	6000	661	–	–
	कुल योग	7436	619	30	0	165	276333	107017	0	–

मण्डल आयुक्त

1	आयुक्त गुडगांव मंडल, गुडगांव	1422	0	0	0	0	72484	9406	इस एक्ट के निर्देशों के अनुसार एक्ट की अनुपालना हेतु सभी प्रकार के प्रयास किये गये।	–
2	आयुक्त हिसार मण्डल हिसार	70	0	0	0	0	2870	222	इस एक्ट के तहत दस्तावेजां को तुरंत निपटान किया गया।	–
3	आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक	99	0	0	0	0	2360	250	–	–
	कुल योग	1591	0	0	0	0	77714	9878	–	–

उपायुक्त

1	उपायुक्त फरीदाबाद	480	1	1	0	0	22200	5550	–	–
2	उपायुक्त झज्जर	598	18	0	0	0	21170	1841	–	–
3	उपायुक्त रिवाड़ी	1277	0	0	0	0	33880	1055	–	–
4	उपायुक्त सिरसा	123	0	0	0	1300	0	0	रिपोर्ट समय पर प्रदान की गई।	–
	कुल योग	2478	19	1	0	1300	77250	8446	–	–

जिला एंव सत्र न्यायधीश

1	जिला एंव सत्र न्यायधीश,,अम्बाला	49	0	0	0	0	1930	280	उपलब्ध सूचना जितना जल्दी हो सके निर्धारित समय पर प्रदान की जाती है। हर समय जानकारी प्रदान की जाती है।	–

2	जिला एंव सत्र न्यायाधीश, भिवानी	8	0	0	0	0	13 80	0	–	–
3	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फरीदाबाद	31	0	0	0	0	1190	0	इस एक्ट के तहत दस्तावेजों को तुरंत निपटान किया गया।	कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई।
4	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फतेहाबाद	5	1(कार्यालय से संबंधित नही)	0	0	0	100	0	–	–
5	जिला एंव सत्र न्यायधीश, गुडगांव	109	2	0	0	0	273 0	143 4	–	–
6	जिला एंव सत्र न्यायधीश, हिसार	41	1(क्योंकि अपर्याप्त ब्यौरा था)	0	0	0	2180	950	–	–
7	जिला एंव सत्र न्यायधीश, जींद	2	0	0	0	50	0	0	1 इस एक्ट की अनुपालना हेतु सभी प्रकार के प्रयास किये गये। 2 रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17.10.2011 को सूचना भेजी गई	–

8	जिला एंव सत्र न्यायधीश, झज्जर	22	2 (1 फीस की अदायगी नहीं की गई 2 दोष पूर्ण साधन के शुल्क के भुगतान के साधन के रूप में रिटर्न)	0	0	0	1000	1940	–	–
9	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कैथल	6	2	0	0	0	250	0	इस अधिनियम की भावना एंव मंशा को अपनाने व लागू करने के सभी प्रयास किये गये हैं।	अभी तक कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई।
10	जिला एंव सत्र न्यायीश, करनाल	48	8 (निर्धारित प्रर्फोमें पर नहीं या सही ब्यौरे के आधार पर)	0	0	0	3200	0	–	–
11	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कुरूक्षेत्र	17	4	0	0	0	950	0	–	–
12	जिला एंव सत्र न्यायधीश, महेन्द्रगढ, नारनौल	27	0	0	0	0	900	110	–	–

13	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पंचकूला	17	1(नियम के अनुसार आवेदन जमा नहीं किया गया)	0	0	0	960	0	अपीलार्थियों को दस्तावेजों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।	–
14	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पानीपत	8	0	0	0	0	450	90	–	–
15	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रिवाडी	19	0	0	0	0	750	100	–	–
16	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रोहतक	15	2	0	0	0	150	100	–	–
17	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सिरसा	36	1	0	0	0	1250	720	सूचना प्रदान की गई ।	–
18	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सोनीपत	25	3	0	0	0	1100	1120	–	–
19	जिला एंव सत्र न्यायधीश, यमुनानगर	6	2(1 आवेदन सिविल सर्जन को तथा 1 सी, जगाधरी को वापिस कर दिया गया)	3 आवेदन पत्र वापिस किये	0	0	50	0	–	–
	कुल योग	491	12	3	0	50	20520	6844	–	–

प्रशासकीय सचिव										
1	मुख्य सचिव हरियाणा, चण्डीगढ़	1012	0	0	0	0	27421	3 597	–	–
2	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन और समेकन विभाग	219	0	0	0	0	10450	11516	–	
3	तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	591	0	0	0	0	18500	18922	विभाग की वैबसाईट लांच कर दी गई है तथा जन प्राधिकारी को आर.टी. आई.एक्ट के तहत हिपा द्वारा ट्रेन्रिग प्रदान की गई है।	–
4	सिंचाई विभाग	23 4	0	0	0	0	4400	905	150	–
5	पर्यटन और आवास विभाग	89	0	0	0	0	2950	2675	–	–
6	स्वास्थ्य विभाग	3 45	0	0	0	0	1003 0	6865	–	
7	अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग	480	0	0	0	0	6660	2409	इस एक्ट को लागू करने के लिये हर संभव प्रयास किया गया।	
8	सचिव राज्यपाल हरियाणा	477	8	0	0	0	15807	0	–	–

9	हरियाणा विधान सभा सचिवालय	62	0	0	0	0	2140	7680	एक्ट की मंशा व भावना को लागू करने के ईमानदारी से प्रयास किये गये।	अधिनियम की प्रकिया के दुरूपयोग को रोकने के लिये तथा अकुंश लगाने के लिये एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिये। सूचना प्राप्त करने के आवेदन अविलबनिय लो महत्व के मामले पर अधारित होने चाहिये न कि पुराने रिकार्ड से संबंधित अत्यधिक लम्बाई वाले केस जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हो। जन सूचना अधिकारी के स्तर पर आवेदन के निपटान की अवधि 60 दिन होनी चाहिये। 2 एस.पी.आई.ओ और एफ ए ए के लिये समय–2 पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन करना चाहिये आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करने के लिये अलग पद का सृजन करना चाहिये। एस.पी.आई.ओ और एफ ए ए को आर.टी. आई एक्ट के अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करने के लिये मानदेय प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिये।
	कुल योग	3509	8	0	0	0	98358	54569	0	0
	सर्वयोग	54057	1277	46	511	15614	1797811	499686	0	

परिशिष्ठ 'ग'	
प्रमुख सरकारी अधिकारियों की सूची जिनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।	
विभाग के प्रमुख	
1	महाधिवक्ता (एं.जी.)
2	पशु पालन एंव डेयरिंगं (महानिदेशक)
3	पुरातत्व एंव संग्रहालय (निदेशक)
4	वास्तुकला (मुख्य वास्तुकार)
5	अभिलेखाकार (निदेशक)
6	आयुष (निदेशक)
7	कल्याणकारी दान–पुण्य (महाप्रशासक एंव सरकारी न्यासी)
8	जनगणना संचालन (निदेशक)
9	नागरिक उड्डयन (सलाहकार)
10	चकबंदी (निदेशक)
11	सहकारिता (रजिस्ट्रार)
12	अर्थ एंव सांख्यिकीय विश्लेषण (ई0एस0ए0)
13	उच्चतर शिक्षा विभाग (आयुक्त)
14	मुख्य विद्युत निरीक्षक (मुख्य निरीक्षक)
15	राज्य रोजगार एक्सचेंज (उप निदेशक)
16	पर्यावरण(निदेशक)
17	आबकारी एंव कराधान(ई0टी0सी0)
18	मत्स्यपालन विभाग (निदेशक)
19	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (निदेशक)
20	वन विभाग (पी0सी0सी0एफ0)
21	शिकायतें निवारण विभाग (निदेशक)
22	प्रजनन एंव बाल स्वास्थ्य(परियोजना)
23	हरियाणा एड्स नियंत्रण सोसायटी (अध्यक्ष)
24	राज्य टी0बी0 नियंत्रण समीति एंव कुष्ठ समीति (अधयक्ष)
25	राज्य टी0बी0 संस्था हरियाणा(प्रधान)
26	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा)(निदेशक)
27	औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यवसायिक शिक्षा निदेशक
28	संस्थागत वित्त एंव साख नियंत्रण (निदेशक)
29	सिंचाई विभाग (सलाहकार)
30	सिंचाई अनुसंधान एंव प्रबंधन संस्थान (प्रधान निदेशक)
31	श्रम विभाग (श्रम आयुक्त)
32	भू अभिलेख विभाग(निदेशक)
33	हरियाण राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण(कार्यकारी अधयक्ष)

34	स्थानीय लेखा परीक्षा(निदेशक)
35	लॉटरीज़ (निदेशक)
36	एन0आई0सी0 – कम्प्यूटर केन्द्र (वरिष्ठ तकनीकी)
37	पंचायती राज लोक निमार्ण कार्य (मुख्य अभियंता)
38	मुद्रण और स्टेशनरी (नियंत्रण)
39	कारागार विभाग(संयुक्त सचिव)
40	अभियोग (निर्देशक)
41	जन संपर्क एंव सामाजिक कार्य विभाग (डी0पी0आर0)
42	लोक निमार्ण (जल आपूर्ति एंव स्वच्छता)
43	पुनर्वास (सयुक्त सचिव)
44	नवीकरणीय ऊर्जा(निर्देशक)
45	राजस्व प्रशिक्षण संस्थान (प्रधानाचार्य)
46	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (निदेशक)
47	लघु बचत (निदेशक)
48	पर्यटन विभाग (निदेशक)
49	खजाना एंव लेखा विभाग (निदेशक)
50	शहरी स्थानीय निकाय विभाग (निदेशक)
51	सतर्कता (जांच अधिकारी)
52	अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग
53	महिला एंव बाल विकास विभाग (निदेशक)
54	सतकर्ता विभाग, हरियाणा

बोर्ड एवं निगम	
1	कृषि विपणन बोर्ड (अध्यक्ष)
2	पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (अध्यक्ष)
3	दवा के आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली का बोर्ड (अध्यक्ष)
4	दवा की होमोपेथिक प्रणाली की परिषद्(अध्यक्ष)
5	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण(प्रशासनिक)
6	सहकारी केन्द्रीय बैंक लि0 (अध्यक्ष)
7	सहकारी श्रम और निमार्ण फीड लि0 (अध्यक्ष)
8	सहकारी चीनी मील्स की फीड समिति(अध्यक्ष)
9	उपभोक्ता सहकारीथोक भंडारण की फीड समिति(अध्यक्ष)
10	राज्य सलाहकारी बोर्ड (अध्यक्ष)
11	दुग्धा विकास सहकारी प्रसंग लि0 (अध्यक्ष)
12	ऊर्जा उत्पादन निगम (अध्यक्ष)
13	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
14	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
15	वन विभाग निगम (पी.सी.सी.एफ)

16	हथकरघा एवं हस्तकला निगम लि0 (अध्यक्ष)
17	अनुसूचित जाति वित एंव विकास निगम लि0(अध्यक्ष)
18	हाउसिंग बोर्ड (अध्यक्ष)
19	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (अध्यक्ष)
20	औद्योगिक सहकारी प्रसंघ लि0 (लिक्विडेटर)
21	औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लि0 (अध्यक्ष)
22	कला परिषद (उपाधयक्ष)
23	खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड (अध्यक्ष)
24	भूमि सुधार एवं विकास निगम (अध्यक्ष)
25	भूमि उपयोग बोर्ड (निदेशक–सह–सदस्य सचिव)
26	पशुधन विकास बोर्ड (अध्यक्ष)
27	श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड(अध्यक्ष)
28	चिकित्सा परिषद् (प्रधान)
29	राज्य दन्त परिषद् (प्रधान)
30	नर्सिग पंजीकरण परिषद(प्रधान)
31	मेवात विकास ऐजेंसी(अध्यक्ष)
32	लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमि0 (एम0आई0टी0सी0) (प्रबंधक निदेशक)
33	विदेश सोपान सहायता समिति (एच0ओ0पी0ए0एस0) (अध्यक्ष)
34	फार्मेसी परिषद(रजिस्ट्रार)
35	पुलिस आवास निगम(अध्यक्ष)
36	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(अध्यक्ष)
37	हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् (प्रधाान)
38	हरियाणा पंजाबी सहित्य अकादमी (अध्यक्ष)
39	सड़क एवं पुल विकास निगम लि0 (अध्यक्ष)
40	ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय बोर्ड एच आर डी एफ(अध्यक्ष)
41	संवाद (अध्यक्ष)
42	हरियाणा साहित्य अकादमी (अध्यक्ष)
43	संस्कृत अकादमी (अध्यक्ष)
44	संस्कृत अकादमी (सदस्य सचिव)
45	विज्ञान एंव तकनीकी परिषद(अध्यक्ष)
46	शिवालिक विकास बोर्ड (अध्यक्ष)
47	मलिन अभिवेदित बोर्ड (मुख्य प्रशासक)
48	समाज कल्याण बोर्ड (अध्यक्ष)
49	स्वत़ंत्रता सैनिक सम्मन समीति(अध्यक्ष)
50	वृत पंचकूला (प्रशासक)
51	हरियाणा उर्दू अकादमी(अध्यक्ष)
52	हरियाणा महिला विकास निगम(अध्यक्ष)
53	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंव शहरी विकास समीति (योजना निदेशक)

54	बाल कल्याण परिषद(प्रधान)
55	वक्फ बोर्ड(अध्यक्ष)
56	श्रवण एंव वाणी विकलांगता समिति (प्रधान)
57	अंधापन नियंत्रण समिति(अध्यक्ष)
58	भारतीय रैडकास समिति (अध्यक्ष)
59	भारतीय ग्रामीण महिला संघ (प्रधान)
60	हरियाण हिंद कुष्ठ निवारण संघ (प्रधान)
61	साकेत परिषद (प्रधान)
62	हरियाणा राज्य चुनाव आयोग
63	हरियाणा लोक सेवा आयोग (एच.पी.एस.सी)
64	हरियाणा राज्य महिला आयोग (पंचकूला)
65	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद निवारण आयोग (सचिव)
66	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक (निदेशक)
67	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ए.आर.सी)
68	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा, चण्डीगढ

मण्डल आयुक्त	
1	उपायुक्त, अम्बाला डिवीजन, अम्बाला

उपायुक्त	
1	उपायुक्त अंबाला
2	उपायुक्त भिवानी
3	उपायुक्त फरीदाबाद
4	उपायुक्त गुडगांव
5	उपायुक्त हिसार
6	उपायुक्त जीन्द
7	उपायुक्त करनाल
8	उपायुक्त कैथल
9	उपायुक्त कुरूक्षेत्र
10	उपायुक्त महेन्द्रगढ (नारनौल)
11	उपायुक्त मेवात (नूह)
12	उपायुक्त पलवल
13	उपायुक्त पानीपत
14	उपायुक्त पंचकूला
15	उपायुक्त रोहतक
16	उपायुक्त सोनीपत
17	उपायुक्त यमुनानगर

जिला एंव सत्र न्यायधीश	
1	जिला एंव सत्र न्यायधीश, मेवात और नूह
2	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पलवल

प्रशासकीय सचिव	
1	राजनीतिक विभाग
2	पर्यावरण विभाग
3	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, हरियाणा
4	शहरी स्थानीय निकाय विभाग
5	घर,जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन
6	सहकारिता विभाग
7	जन स्वास्थ्य नियंत्रक विभाग
8	महिला एंव बाल विकास विभाग
9	वित्त एवं आई.एफ.सी.सी एवं योजना विभाग
10	आबकारी एंव कराधान (ई0टी0सी0)
11	परिवहन एंव नागरिक उड्डयन विभाग
12	ऊर्जा विभाग
13	वन विभाग (पी0सी0सी0एफ0)
14	ाहर और देश योजना एंव शहरी संपदा विभाग
15	उद्योग एंव वाणिज्य, खान और भूविज्ञान और इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी
16	उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग
17	अभिलेखाकार विभाग
18	खेल एवं युवा कल्याण एवं सचिव, सेल उपयोग/निपटान
19	कृषि विभाग
20	पी डब्ल्यु (बी.एडं आर) एवं वास्तु विभाग
21	पशु संशाधान एवं दुग्धा उत्पाद विभाग
22	विज्ञान एवं तकनीकी एवं नवीनिकरण ऊर्जा विभाग
23	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
24	स्कूल शिक्षा, श्रम एंव रोजगार विभाग और अध्यक्ष, हरियाणा खनिज लि0, नई दिल्ली
25	पचांयत विभाग के विकास और सचिव बी ए सी और आयुक्त गुरूद्वारा चुनाव हरियाण
26	सूचना एवं जन संपर्क सामाजिक कल्याण एवं शिकायत विभाग
27	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
28	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
29	मत्स्य पालन विभाग
30	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चुनाव विभाग एंव निदेशक अक्षय ऊर्जा

अनुबंध 'घ'

राज्य लोक सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत जारी किये गये दंड का विवरण

1.1.2011 से 31.12.2011

केस नं0	निर्णय की तिथि	लागू किए गए जुर्माने की राशि	दोषी एस0पीआई0ओ0 की सूची	राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता
529/2010 में 443/2010 में 316/2010	17.1.2011	5750/–	श्री विवेक सोनी बनाम के के गुप्ता, एसपीआईओ–सह–अधीक्षक अभियंता (व्यवसायिक) दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम, हिसार।	प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार
528/2010 में 405, 406 एंव 407/2010 में 292/2010	17.1.2011	5000/–	श्री कुलदीप सिह देसवाल बनाम ओ पी अहलावत, तत्कालीन डीमड एस पीआईओ–सह–अधीक्षक अभियंता (व्यवसायिक) दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम, हिसार।	प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम, विघुत्त नगर, हिसार
592/2010 में 2673/2010	19.1.2011	2000/–	श्री रमेश कुमार बनाम सचिव, नगर निगम, चीका	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पंचकुला
739/2010 में 461/2010 में 2586/2010	3.2.2011	5000/–	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा बनाम श्रीमति संगीता यादव, तत्कालीन एसपीआईओ–सह–उप जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाडी (वर्तमान जिला योजना संयोजक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान, रिवाड़ी)	निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा सदन, सैक्टर–5, हरियाणा, पंचकूला
643/2010 में	17.2.2011	9000/–	श्री कंवल शर्मा बनाम एस.पी.आई.	उपायुक्त, सोनीपत।

2637/2010			ओ–सह–जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत।	
747/2010 में 3025/2010	21.2.2011	13000/–	श्री बिजेश शर्मा बनाम श्री वीरवल सिह चौधरी, तत्कालीन एसपीआईओ–सह–उप जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत, अब जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी	निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा सदन, सैक्टर–6, पचकुला।
710/2010 में 2914/2010	1.3.2011	10000/–	ईश्वर सिहं बनाम खण्ड विकास एव पंचायत अधिकारी हिसार–1	निदेशक विकास एंव पंचायत हरियाणा चण्डीगढ।
15/2010 में 1778/2009	1.3.2011	10000/–	श्री एस0 के0 दुगल बनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा, फरीदावाद।	मुख्य प्रशासक हुडडा,सैक्टर–6,पंचकूला।
627/2010 में 2642/2010	10.3.2011	10000/–	श्री नरेन्द्र धमीजा बनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा, फरीदावाद।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर–6, पंचकूला।
686/2010 में 2207/2010	10.3.2011	10000/–	कुमारी मधु तेवातिया बनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा, फरीदावाद।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर–6, पंचकूला।
362/2010 में 1587/2010	10.3.2011	15000/–	श्रीदुर्गा दत बनाम हरियाणा रोडवेज चण्डीगढ।	लेखा नियत्रंक हरियाणा राज्य परिवहन, सैक्टर–, चण्डीगढ।
261/2010 में 1303/2010	12.5.2011	15000/–	श्री नरेश कुमार जून बनाम क्षेत्रि परिवहन प्राधिकारी, झज्जर।	लेखा नियत्रंक हरियाणा राज्य परिवहन, सैक्टर–17, चण्डीगढ।
323/2010 में 2900/2010	12.5.2011	15000/–	श्रीमति हरवंश कौर बनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा, सोनीपत।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर–6, पचकूला।
322/2011 में 2556/2009	7.7.2011	10000/–	श्री महिन्द्र पाल बनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा, फरीदावाद।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर–6, पचकूला।
773/2010 में 2858/2010	14.7.2011	5000/–	श्री वी0 डी0 धवन बनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा, सोनीपत।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर–6, पचकूला।
685/2010 में	18.8. 2011	10000/–	श्री सूरज प्रकाश कौशिक बनाम हरियाणा	महानिदेशक हरियाणा राज्य परिवहन

2388/2011			रोडवेज चण्डीगढ।	चण्डीगढ।
554/2011 में 1401/2011	23.8. 2011	5000/–	श्री राकेश अस्थाना बनाम जिला योजनाकार, मुख्यालय,	महानिदेशक नगर एवम ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा
557/2011 में 1760/2011	8.9.2011	5000/–	श्रीमति सावित्रि देवी बनाम अरविन्द मलहान फिर एसपीआईओ हुडडा फरीदाबाद अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।	अरविन्द मलहान, फिर एसपीआईओ अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
423/2011 में 7/2011 में 2974/11	8.9.2011	5000/–	श्री एन0 एस0 गुलिया बनाम अरविन्द मलहान तत्कालीन एसपीआईओ हुडडा फरीदाबाद अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।	अरविन्द मलहान, फिर एसपीआईओ अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
10120/11 में 3107/2011	8.9.2011	5000/–	श्री नवदीप गुप्ता बनाम अरविन्द मलहान फिर एसपीआईओ हुडडा फरीदाबाद अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।	अरविन्द मलहान, फिर एसपीआईओ अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
401/2011 में 1121/2011	8.9.2011	5000/–	श्री के0 सी0 मलहोत्रा बनाम अरविन्द मलहान तत्कालीन एसपीआईओ हुडडा फरीदाबाद अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।	अरविन्द मलहान, फिर एसपीआईओ अब अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
549/2011 में 1508/2010	13.9.2011	5000/–	श्री राकेश बसल बनाम असवनी कुमार, हुडडा पचकुला।	एसपीआईओ–सह–सम्पदा अधिकारी, हुडडा, पचंकूला।
281/2011 में 543/2011 में 2173/2010	15.9.2011	10000/–	श्री कुलदीप चन्द मनीमाजरा बनाम डा एस.एस सैणी, तत्कालीन एसपीआईओ हुडडा, पचंकूला अव अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा।	अतिरिक्त निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा
..कव..	15.9.2011	5000/–	श्री कुलदीप चन्द मनीमाजरा बनाम म श्री अश्विनी कुमार वर्मा,	एसपीआईओ–सह–सम्पदा अधिकारी, हुडडा, पचंकूला।

			एसपीआईओ – सह – सम्पदा अधिकारी, हुडडा, पचंकूला ।	
648 एंव 649 / 2011 में 213 8 / 2011	21.9.2011	10000 / –	श्री ओम प्रकाश बनाम खण्ड विकास एव पंचायत अधिकारी, अटेली नगल, महेन्द्रगढ।	निदेशक विकास एव पंचायत हरियाणा चण्डीगढ।
519 – 457 / 2010 में 1920 / 2010	26.4.2011	25ए000 / –	श्री संदीप सिहं बनाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा	डा0 एस आर वर्मा, एसपीआईओ – सह – प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
704 / 2010 में 2204 / 2010	21.9.2011	25000 / –	श्री अशोक भारद्वाज बनाम जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत।	श्री सुरेश कुमार, एसपीआईओ – सह – जिला राजस्व अधिकारी, सानीपत।
492 / 2011 में 2184 / 2011	12.10.2011	15000 / –	श्री महेश कुमार बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, नूह।	एसपीआईओ – सह – उप जिला शिक्षा अधिकारी, नूह।
43 7 / 2011 में 3 501 / 2011	4.10.2011	10000 / –	श्री वेद प्रकाश बनाम वरिषठ नगर योजनाकार, गुडंगाव।	एसपीआईओ – सह – वरिषठ नगर योजनाकार, गुडंगाव।
63 2 / 2011 में 2915 / 2011	5.10.2011	10000 / –	श्री अजय दुसद बनाम सम्पदा अधिकारी, फरीदावाद।	श्री अरविन्द मलहान, एसपीआईओ – सह – सम्पदा अधिकारी, हुडडा, फरीदावाद।
759 / 2010 में 2929 / 2010	5.10.2011	5000 / –	श्री सिकन्दर लाल रहेजा बनाम सम्पदा अधिकारी, रेवाडी।	श्री अश्वनी शर्मा, एसपीआईओ – सह – सम्पदा अधिकारी, हुडडा, रेवाडी।
587 / 2011 में 193 1 / 2011	5.10.2011	10000 / –	श्री सुरेश कुमार बनाम सम्पदा अधिकारी, फरीदावाद।	श्री अरविन्द मलहान, एसपीआईओ – सह – सम्पदा अधिकारी, हुडडा, फरीदावाद।
414 / 2011 में 3 544 / 2010	14.11.2011	10000 / –	श्री विकास मिश्रा बनाम अरविन्द मलहान, फिर एसपीआईओ अव उप मण्डल अधिकारी, सफीदों।	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकुला।
416 / 2011 में 3 545 / 2010	14.11.2011	10000 / –	श्री विकास मिश्रा बनाम अरविन्द मलहान, फिर एसपीआईओ अव उप मण्डल अधिकारी, सफीदों।	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकुला।
415 / 2011 में	14.11.2011	10000 / –	श्री विकास मिश्रा बनाम अरविन्द	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकूला।

3 541 / 2010			मलहान, फिर एसपीआईआ अव उप मण्डल अधिकारी, सफीदों।	
676 / 2011 में 2911 / 2011	14.11.2011	5000 / –	मेजर रतन सिहं यादव बनाम हुडडा, रेवाड़ी।	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकूला।
568 : 569 / 2011 में 50 / 2011	14.11.2011	10000 / –	श्री सुलतान सिहं बनाम हुडडा, रेवाडी।	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकूला।
699 / 2011 में 248 / 2011 में 3 3 15 / 2010	14.11.2011	5000 / –	श्री रमेश छावडा बनाम अरविन्द मलहान एसपीआईओ – सह – सम्पदा अधिकारी, फरीदावाद।	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकूला।
515 / 2010 में 456 / 2010 में 188 / 2010	15.11.2011	5000 / –	श्री दीन दयाल सौनी बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी।	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पचंकूला।
765 / 2011 में 3 087 / 2011	15.11.2011	5000 / –	श्री कुलभूषण गोयल बनाम उप मण्डल अधिकारी (सीविल), पटौदी।	उप मण्डल अधिकारी (सीविल), पटौदी।
745 / 2011 में 3 505 / 2011	15.11.2011	5000 / –	श्री उमां शंकर बनाम उप मण्डल अधिकारी (सीविल), पटौदी।	उप मण्डल अधिकारी (सीविल), पटौदी।
697 / 2011 में 2420 / 2011	15.11.2011	5000 / –	श्री गुलशन कुमार बनाम उप मण्डल अधिकारी (सीविल), पटौदी।	उप मण्डल अधिकारी (सीविल), पटौदी।
605 / 2011 में 1928 / 2011	16.11.2011	10000 / –	श्री जगमोहन बंसल बनाम हुडडा, भिवानी।	मुख्य प्रशासक हुडडा, पचंकूला।
564 / 2011 में 1763 / 2011	17.11.2011	25000 / –	श्री जय प्रकाश बनाम सहायक सचिव, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकारी, हिसार।	सहायक सचिव, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकारी, हिसार।
751 / 2010 में 2903 / 2010	29.3.2011	15000 / –	श्री सोहन लाल बनाम महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ।	महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ।
598 / 2011 में	8.12.2011	5000 / –	श्रीमति विद्या ढाका बनाम श्रीमति कुसम	निदेशक स्कूल शिक्षा, पंचकूला।

1692/2011			लता एसपीआईओ –सह–खण्ड शिक्षा अधिकारी, रोहतक।	
436/2011 में 1179/2011	12.12.2011	10000/–	श्री राजीव सचदेवा बनाम श्री अश्वनी शर्मा तत्कालीन एसपीआईओ–सह–सम्पदा अधिकारी, हुडडा पंचकूला अव एफएए	मुख्य प्रशासक हुडडा, पंचकूला।
726/2010 में 3051/2010	14.12.2011	2000/–	श्री जसबीर सिंह बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।	निदेशक स्कूल शिक्षा, पंचकूला।

अनुबंध– 'ड़'

कर्मचारियों की सूची जिनके विरूद्ध आयोग ने अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए 1–1–2011 से 31–12–2011 के दौरान सिफारिश की ।

केस संख्या	नाम/विभाग	निर्णय की तिथि	दोषी कर्मचारियों की संख्या	जन सूचना अधिकारी का नाम
27/2011 में 1890/2010	श्री हरी ओम बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा	16/2/2011	1	निर्देशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा
1622/2011	श्रीमती सुनीता रानी बनाम सिविल सर्जन, सिरसा	23/3/2011	1	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकूला
3265/2010	श्री आनन्द प्रकाश शर्मा बनाम उप–मण्डल अधिकारी(सी), हरियाणा	20/4/2011	1	उपायुक्त, रिवाडी
1806/2011	श्री जगदीप कुण्डू बनाम चौधरी चरण सिंह, कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा।	21/4/2011	1	चौधरी चरण सिंह, कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा।

277 एंव 278/2011 में 682/2010 में केस नं0 2197/2010	श्री महावीर सिंह बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, करनाल	3/6/2011	1	उपायुक्त, राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।
1495/2011	श्री श्रीनिवास बनाम श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पंचकूला	30/6/2011	1	श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पंचकूला
1746/2011	श्री परमानंद बनाम हुडडा, गुडगांव	29/7/2011	2	मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर–6, पंचकूला।
2575/2011	श्री ईश्वर सिंह बनाम पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा, पंचकूला	30/8/2011	1	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला
644/2011 में 2117/2011	श्री कृष्ण चंद बनाम हुडडा, गुडगांव	4/10/2011	1	मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर–6, पंचकूला।

अनुबंध – 'च'

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत धारा 19 (8)(बी) राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को दिये गये मुआवज़े का विवरण अवधि 1–1–2011 से 31–12–2011

केस नं0	ओदश की तिथि	मुआवजे की राशि	पक्षों का विवरण
2979/2010	6.1.2011	500/–	श्री राम सिहं बनाम उप मण्डल अधिकारी पानीपत
2201/2010	10.1.2011	500/–	श्री प्रवीन कुमार गुप्ता बनाम महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला
2523 /2010	12.1.2011	10000/–	श्री मुकेश कुमार बनाम अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला।
2966/2010	13.1.2011	1000/–	श्रीमति मंजू लता बनाम पुलिस अधीक्षक झज्जर।
3007/2010	13.1.2011	800/–	श्रीमति मीनाक्षी बनाम कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला
327/2010	14.1.2011	500/–	श्रीमति सीता यादव बनाम अधीक्षक जिला सत्र न्यायधीश, पंचकूला।

660/2010 पद 2694/2010	14.1.2011	5000/-	श्री बलबीर सिह बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, भिवानी
3002/2010	14.1.2011	1500/-	श्री अरूण कुमार बनाम सचिव नगर परिषद, नारनौल।
2367/2010	17.1.2011	1000/-	श्री सुरेन्द्र सिह ढिल्लों बनाम पुलिस महानिरिक्षक, पंचकूला
2805/2010	17.1.2011	500/-	श्री शमशेर सिहं बनाम उप मण्डल अधिकारी, जगाधारी।
2265/2010	18.1.2011	1000/-	श्री अमरजीत सिहं महाप्रशासनिक विभाग, चण्डीगढ़।
2273/2010	18.1.2011	1000/-	श्री आर एन सोनी बनाम महाप्रशासनिक विभाग, चण्डीगढ़।
2836/10	19.1.2011	1000/-	श्री सतगुरू दास बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
2558/2010	20.1.2011	1000/-	श्री जितेन्द्र कुमार गोयल बनामम निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा
395/2010 पद 1836/2010	20.1.2011	500/-	श्री राम मेहर शर्मा बनाम महानिदेशक स्वास्थ सेवायें हरियाणा, पंचकूला।
2736/2010	27.1.2011	1000/-	श्री राम सिहं वर्मा बनाम पुलिस अधीक्षक, भिवानी
2859/2010	27.1.2011	1000/-	श्री धर्मपाल बनाम जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी

3 3 90 ⁄ 2010	2.2.2011	1000 ⁄ –	श्री नायव सिहं बनाम अधिक्षक अभियंता वी एण्ड आर, चण्डीगढ़।
3 3 88 ⁄ 2010	4.2.2011	1000 ⁄ –	श्री एस सी अग्रवाल बनाम प्रधानाचार्य एस डी कालेज, पानीपत।
3 218 ⁄ 2010	4.2.2011	2000 ⁄ –	श्री राजेन्द्र नाथ खुराना बनाम नगर निगम, पलवल।
3 43 0 ⁄ 2010	7.2.2011	1000 ⁄ –	श्री सजीव ओझा बनाम उप मण्डल अधिकारी, जगाधरी
3 43 8 ⁄ 2010	7.2.2011	2000 ⁄ –	श्री मनोहर लाल बनाम उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पानीपत।
3 115 ⁄ 2010	9.2.2011	1500 ⁄ –	श्री के सी आर्या बनाम नगर निगम, फरीदावाद
3 118 ⁄ 2010	10.2.2011	500 ⁄ –	श्री बी आर दलाल बनाम कृषि विभाग, जीन्द
3 120 ⁄ 2010	10.2.2011	500 ⁄ –	श्री इन्द्रजीत अहीकारी बनाम उप संरक्षक, वन मण्डल, सिरसा।
2592 ⁄ 2010	15.2.2011	1000 ⁄ –	श्री बिजेन्द्र सिह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 213 ⁄ 2010	15.2.2011	700 ⁄ –	श्री भावी चन्द बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 3 96 ⁄ 2010	15.2.2011	2000 ⁄ –	श्री सुरजीत सिहं बनाम महिला विकास विभाग, हरियाणा
3 223 ⁄ 2010	16.2.2011	3 50 ⁄ –	श्री बी आर दलाल बनाम कृषि विभाग, जीन्द

3130/2010ए 3241/2010 – 3242/2010	16.2.2011	750/–	श्री हरगोबिन्द भाटिया बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार
365/2010	16.2.2011	2000/–	श्रीमति सुदेश बनाम हरियाण विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला
3127/2010	17.2.2011	3000/–	श्री मदन लाल शर्मा बनाम उपायुक्त, अम्बाला
2355/2010	17.2.2011	1000/–	श्री राम सिहं वर्मा बनाम निदेशक फोरैंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हरियाणा, मधुवन, करनाल
3418/2010	22.2.2011	500/–	श्री राम करण बनाम हरियाणा राज्य कषि विपण्न बोर्ड, अम्बाला
3495/2010	24.2.2011	500/–	श्री विजय सिह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1216/2011	24.2.2011	500/–	श्री दीन दयाल सोनी बनाम उप समान्य हस्पताल, गुडगांव
3471/2010	24.2.2011	1000/–	श्री पृथ्वी सिहं लाम्बा बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
27/2011	25.2.2011	500/–	श्री दया नन्द बनाम जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी
1057/2011	23.2.2011	5000/–	श्री श्याम सुन्दर बनाम कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग, पंचकूला

1213 ⁄2011	24.2.2011	1000 ⁄ –	श्रीमति कान्तां देवी बनाम निदेशक मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी
1015 ⁄2011	1.3.2011	500 ⁄ –	श्री रतन सिह बनाम पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला
710 ⁄2010 पद 2914 ⁄2010	1.3.2011	1000 ⁄ –	श्री ईश्वर सिह बनाम खण्ड विकास एव पचांयत अधिकारी, हासीं
3155 ⁄2010	8.3.2011	500 ⁄ –	श्री भूपेन्द्र सिह बेराज बनाम मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, कुछराणा कलां, जीन्द।
3456 ⁄2010	9.3.2011	500 ⁄ –	श्री बाल किशन बनाम प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, नगली गोधा, रेवाड़ी
3174 ⁄2010	9.3.2011	500 ⁄ –	श्री कृष्ण कुमार बनाम प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, तिहाडा, रेवाड़ी।
686 ⁄2010 पद 2207 ⁄2010	10.3.2011	2000 ⁄ –	श्रीमति मधु तिवीतिया बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, फरीदाबाद
1453 ⁄2011	10.3.2011	1000 ⁄ –	श्री अमित बंसल बनाम अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियन्ता, करनाल

3062/2010	11.3.2011	500/-	श्री भूपेन्द्र सिह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1479/2010	14.3.2011	1000/-	श्री राजेश कुमार सैनी बनाम निदेशक समाज कल्याण एव अधिकारिता विभाग
1480/2011	14.3.2011	1000/-	श्री परवेश जैन बनाम राज्य परिषद शैक्षिक अनुसंधाान और प्रशिक्षण सस्थान, गुडगांव।
1468/2011	14.3.2011	1000/-	श्री देवेन्द्र सिह बनाम निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला
3351/2010	15.3.2011	500/-	श्री जिले सिह मेहता बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, पंचकूला
2887/2010	15.3.2011	500/-	डा0 एम सी शर्मा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला
2016/2010	15.3.2011	1000/-	श्री राजेश कुमार बनाम हरियाणा जन सेवाये, हरियाणा, पंचकूला
1530/2011	15.3.2011	1000/-	श्री केसर मल बनाम निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला
1323 /2011	16.3.2011	1000/-	श्री सतवीर सिह चाहल बनाम उपायुक्त, सोनीपत।
89/2011	17.3.2011	500/-	श्री प्यारे लाल बनाम अधीक्षक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
1618/2011	17.3.2011	1000/-	श्री सजीव बनाम उपनिदेशक, समाज कल्याण अधिकारिता विभाग,

			हरियाणा चण्डीगढ़।
1612 ⁄ 2011	17.3.2011	5000 ⁄ –	श्री दुली चन्द बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, वावल
1622 ⁄ 2011	22.3.2011	5000 ⁄ –	श्रीमति सुनीता रानी बनाम उप सिविल सर्जन, सिरसा
3 447 ⁄ 2010	24.3.2011	1000 ⁄ –	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, पंचकूला
1125 ⁄ 2011	25.3.2011	1000 ⁄ –	श्रीमति विशु फोगाट बनाम नगराधीश, सोनीपत
1076 ⁄ 2011	29.3.2011	2000 ⁄ –	श्रीमति चन्दा बनाम आयुक्त, नगर निगम, फरीदावाद
13 10 ⁄ 2011	3 0.3.2011	500 ⁄ –	डा0 एम सी शर्मा बनाम शिक्षा विभाग, हरियाणा
3 291 ⁄ 2010	3 0.3.2011	1000 ⁄ –	डा0 एम सी शर्मा बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात नूह
1085 ⁄ 2010	3 0.3.2011	1000 ⁄ –	श्री जगेश सिह सुहाग बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला
3 23 3 ⁄ 2010	16.3.2011	1000 ⁄ –	श्री जिले सिह बनाम उपायुक्त, हिसार
3 4 ⁄ 2011 पद 249 ⁄ 2010 पद 1088 ⁄ 2010	28.3.2011	1500 ⁄ –	श्री आर एस बंसल बनाम निदेशक खेल व युवा कार्य विभाग, हरियाणा पंचकूला।

1071/2011	1.4.2011	2000/-	श्री कुलदीप सिह बनाम आयुक्त नगर निगम, फरीदावाद
3 497/2010	5.4.2011	2000/-	श्री रूपेश मित्तल बनाम खण्ड विकास एव पचायत अधिकारी, वहाल, भिवानी
3 275/2010	6.4.2011	500/-	श्री स्बरूप सिह बनाम पुलिस उपायुक्त, फरीदावाद
1723 /2011	6.4.2011	5000/-	श्री मनोज कुमार करवासरा बनाम चौधरी चरण सिह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
1720/2011	6.4.2011	5000/-	श्री सिकन्दर खान बनाम हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला कैन्ट
1096/2011	7.4.2011	1000/-	श्री कुन्दन लाल गुप्ता बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला
1473 /2011	7.4.2011	5000/-	श्री रविन्द्र कुमार बनाम बी पी एस महिला महाविद्यालय, खानपुर कलां
407/2010 पद 1801/10	8.4.2011	1000/-	श्री वलवीर सिह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1166/2011	19.4.2011	650/-	इन्जिनियर नरेश भारद्वाज बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
1648/2011	19.4.2011	500/-	श्री ओम प्रकाश बनाम पुलिस अधिक्षक, नारनौल

1153 ⁄2011	19.4.2011	800 ⁄ –	श्री जगन्नाथ बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला
3 265 ⁄2010	20.4.2011	1000 ⁄ –	श्री आन्नद प्रकाश शर्मा बनाम उपायुक्त, रेवाड़ी
1817 ⁄2011	20.4.2011	1000 ⁄ –	श्री अमर सिह बनाम अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक कार्य विभाग, हिसार
153 ⁄2011	21.4.2011	2000 ⁄ –	श्री दिलबाग सिह बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत
1169 ⁄2011	22.4.2011	1000 ⁄ –	श्री सुखचरण सिह बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा
1116 ⁄2011	26.4.2011	2000 ⁄ –	श्री ओम प्रकाश बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, गुडगावं
1246 ⁄2011	28.4.2011	1000 ⁄ –	श्री मदन लाल बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला
1066 ⁄2011	28.4.2011	1000 ⁄ –	श्री ऋषि कुमार बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1270 ⁄2011	29.4.2011	1000 ⁄ –	डा0 एम सी शर्मा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1099 ⁄2011	3 .5. 2011	2000 ⁄ –	श्री कली राम नायडू बनाम कार्यकारी अभियंता हुडडा, हिसार
1646 ⁄2011	3 .5. 2011	1000 ⁄ –	श्री मनोज कुमार बनाम नगराधीश व तहसीलदार, हिसार
103 7 ⁄2011	10.5. 2011	1000 ⁄ –	श्री मुकेश कुमार बनाम उपायुक्त, नारनौल

13 59 ⁄ 2011	11.5. 2011	500 ⁄ –	श्री करण सिह बनाम नगर निगम, फरीदावाद
13 62 ⁄ 2011	11.5. 2011	2500 ⁄ –	श्री एम आर अरोडा बनाम अतिरिक्त आवकारी एव कराधान अधिकारी, हरियाणा
1487 ⁄ 2011	11.5. 2011	2000 ⁄ –	श्री माया चन्द बनाम जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक
1979 ⁄ 2011	17.5. 2011	5000 ⁄ –	डा0 एम सी शर्मा बनाम नगराधीश, भिवानी
1514 ⁄ 2011	18.5. 2011	2000 ⁄ –	श्री तुला राम बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 407 ⁄ 2010	18.5. 2011	1000 ⁄ –	श्री जसबंत सिह बनाम कृषि विभाग, पचकुला
1522 ⁄ 2011	18.5. 2011	520 ⁄ –	श्री अतर सिह बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
1510 ⁄ 2011	19.5. 2011	1000 ⁄ –	श्री मूल चन्द बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
3 417 ⁄ 2010	19.5. 2011	2000 ⁄ –	डा0 एम सी शर्मा बनाम संयुक्त आयुक्त आवकारी एव कराधाान, हिसार
1529 ⁄ 2011	24.5. 2011	1000 ⁄ –	श्री नरेन्द्र कौशिक बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1644 ⁄ 2011	25.5. 2011	1000 ⁄ –	श्री मदन लाल सैनी बनाम वन विभाग, हरियाणा

1639/2011	26.5. 2011	800/–	श्रीमति सुनीता रानी बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
65/2011	10.5.2011	5000/–	श्री के के वर्मा बनाम उप मण्डल अधिकारी, नारनौल
1030/2011	11.5.2011	5000/–	श्री लाल चन्द बनाम उपायुक्त, पलवल
3466/2010	3.6.2011	5000/–	श्री योगेश बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, पंचकूला।
1283/2011	7.6.2011	5000/–	श्री गुरदेव सिह बनाम खण्ड विकास एव पचायत अधिकारी, पिंजौर
1827/2011	8.6.2011	500/–	श्री करण सिह बनाम नगर निगम, फरीदावाद
1870/2011	9.6.2011	500/–	श्री राणा सिह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1877/2011	14.6.2011	1000/–	श्री रजीव बनाम खाद्य एव आपूर्ति विभाग, हरियाणा
1352/2011	14.6.2011	2000/–	श्री वलवीर सिह कादयान बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पंचकूला।
30441/2011	21.6.2011	2000/–	श्री महावीर सिह बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, पंचकूला।
175/2011	21.6.2011	1000/–	श्री दीन दयाल सोनी बनाम नगर परिषद , भिवानी

2214/2011	21.6.2011	2000/-	श्री सत्या नारायण बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत
2216/2011	21.6.2011	2000/-	श्रीमति रेखा बनाम निदेशक महिला व बाल विकास कल्याण विभाग
1897/2011	22.6.2011	600/-	श्री विजेन्द्र बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1902/2011	22.6.2011	500/-	श्री तिलक राज बनाम आयुक्त नगर निगम, हिसार
2201/2011	23.6.2011	2000/-	श्री महावीर सिह बनाम कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य, रोहतक
272/2011 पद 450/2010	23.6.2011	2000/-	श्री विजेन्द्र कुमार जैन बनाम हुडडा, जगाधरी
1440/2011	24.6. 2011	2000/-	श्री रविन्द्र नाथ बसल बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, गुडगांव
1435/2011	24.6.2011	1000/-	श्री सुरिन्द्र बनाम खण्ड विकास एव पचायंत अधिकारी, भिवानी
1989/2011	28.6.2011	1500/-	श्री दिनेश शर्मा बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
1209/2011	30.6.2011	800/-	श्रीमति सुनीता रानी बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1349/2011	1.7. 2011	2000/-	श्री बीरबल बनाम खण्ड विकास एव पचायंत अधिकारी, भिवानी

2566/2011	5.7. 2011	2000/-	श्री भगत सिह बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत
1915/2011	5.7. 2011	1500/-	श्री विजय कुमार ठाकुर बनाम एस ई ओ पी, सर्कल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, करनाल
2137/2011	5.7. 2011	2000/-	श्री सुनील प्रजापत बनाम पुलिस महानिरिक्षक, पंचकूला।
72/2011	5.7. 2011	1000/-	श्री टिक्का राम बनाम पुलिस अधिक्षक, पलवल
2556/2009	7.7. 2011	2000/-	श्री मोहिन्द्र पाल बनाम सम्पदा अधिकार, हुडडा, फरीदावाद
1115/2011	7.7. 2011	1000/-	श्री शमशेर सिह बनाम क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, पानीपत
2302/2011	12.7. 2011	5000/-	श्री रत्ती राम बनाम उप मण्डल अधिकारी, हथीन
1774/2011	13.7. 2011	1000/-	श्री श्री धर्मवीर वेनीवाल बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, हिसार
1762/2011	14.7. 2011	2000/-	श्री जसबंत सिह बनाम हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा, गुडगांव
2692/2011	15.7. 2011	1000/-	श्री अनिल कुमार बनाम सम्पदा अधिाकारी, हुडडा, रेवाड़ी
1294/2011	18.7. 2011	1000/-	श्री पवन विश्नोई बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1238/2011	18.7. 2011	1000/-	श्री पवन बिश्नोई बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।

1792 ⁄ 2011	19.7.2011	1000 ⁄ –	श्री पवन कुमार बनाम सहकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
152 ⁄ 2011	19.7.2011	2000 ⁄ –	डा0 राजपाल राणा बनाम आयुष विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
3 244 ⁄ 2010	21.7.2011	1000 ⁄ –	श्री रमेश कुमार बसंल बनाम पुलिस अधीक्षक सतर्कता ब्यूरो, अम्बाला।
13 3 ⁄ 2011	21.7.2011	5000 ⁄ –	श्री तारा सिंह बनाम निदेशक चकबंदी विभाग, हरियाणा।
2151 ⁄ 2011	27.7.2011	1000 ⁄ –	श्री दीन दयाल सोनी बनाम कार्यकारी अभियन्ता (ओ.पी) शहर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, भिवानी।
23 47 ⁄ 2011	27.7.2011	5000 ⁄ –	श्री मनोज कुमार बनाम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
2704 ⁄ 2010 एंव 2699 ⁄ 2011	29.7.2011	2000 ⁄ –	श्री गोबिंद नरायण कौशिक बनाम संपदा अधिकारी हुढ्डा, गुड़गांव।
1709 ⁄ 2011	29.6.2011	10000 ⁄ –	श्री रामेश्वर दास बनाम जिला राजस्व अधिकारी, गुड़गांव।
1768 ⁄ 2011	29.6.2011	2000 ⁄ –	श्री बिशन स्वरूप बनाम सिटी मजिस्ट्रेट, रिवाड़ी।
23 05 ⁄ 2011	14.7.2011	5000 ⁄ –	श्री गुलाब सिंह बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत।

2379/2011	14.7.2011	2000/-	श्री हेमन्त सैनी बनाम जिला बाल कल्याण अधिकारी, रिवाडी
2610/2011	27.7.2011	2000/-	श्री मामन राम बनाम तहसीलदार चरखी दादरी।
2121/2011	9.8.2011	414/-	श्री राम कुमार सोलंकी बनाम सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां।
2929/10	10.8.2011	2000/-	श्री सिकंदर लाल रहेजा बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुड़गांव।
2806/2011	10.8.2011	2000/-	श्री शमशेर सिंह बनाम महानिदेशक, परिवहन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।
2120/2011	10.8.2011	1000/-	श्रीमती मूर्ति देवी बनाम हुडडा, पंचकूला।
2971/2011	16.8.2011	2000/-	कुमारी डिंपल रानी बनाम हुडडा, कैथल।
2279/2011	16.8.2011	2000/-	श्री प्रमोद भारती बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1836/2011	16.8.2011	500/-	श्री रमेश शर्मा बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, पंचकूला।
1971/2011	17.8.2011	5000/-	श्री राम आश्रम बनाम सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र।
180/2011	17.8.2011	2000/-	श्रीमति सुमित्रा देवी बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, रिवाड़ी।

1829 ⁄ 2011	18.8.2011	1000 ⁄ –	श्री अशोक कुमार प्रजापत बनाम हरियाणा परिवहन, हिसार।
23 88 ⁄ 2010	18.8.2011	2000 ⁄ –	श्री सूरज प्रकाश बनाम परिवहन विभाग
1954 ⁄ 2011	18.8.2011	1000 ⁄ –	श्री मदन पाल शर्मा बनाम सिटी मजिस्ट्रेट, अम्बाला।
2293 ⁄ 2011	23.8.2011	1000 ⁄ –	श्री मनमोहन सिंह बनाम हुडडा, रोहतक।
1961 ⁄ 2011	23.8.2011	2000 ⁄ –	श्री राकेश बनाम लोक स्वास्थ्य, भिवानी।
2295 ⁄ 2011	23.8.2011	1000 ⁄ –	श्री श्याम लाल बनाम खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, पलवल
2290 ⁄ 2011	23.8.2011	1000 ⁄ –	श्री श्याम लाल बनाम खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, पलवल
1889 ⁄ 2011	24.8.2011	2000 ⁄ –	श्रीमती ममता बनाम प्राधानाचार्य, दयाल सैह पब्लिक स्कूल, करनाल
2117 ⁄ 2011	24.8.2011	2000 ⁄ –	श्री किशन चंद बनाम हुडडा, गुड़गांव।
293 2 ⁄ 2010	24.8.2011	3 000 ⁄ –	श्री गुलशन कुमार बनाम हुडडा, गुड़गांव।
106 ⁄ 2011	25.8.2011	2000 ⁄ –	श्री कांशी राम बनाम सिटी मजिस्ट्रेट, रिवाड़ी।
2798 ⁄ 2011	25.8.2011	2000 ⁄ –	श्री महाबीर सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, फरीदाबाद।

2568/2011	25.8.2011	5000/-	श्रीमती सीमा गुप्ता बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, पंचकूला।
2966/2011	26.8.2011	1000/-	श्री मांगे राम बनाम पुलिस अधीक्षक, हिसार।
1547/2011	29.8.2011	2000/-	श्री हरदन सिंह बनाम सामान्य पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
308/2011	29.8.2011	2000/-	श्री मेजर आर.के.राणा बनाम हुडडा, गुड़गांव।
331/2011	29.8.2011	1000/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम संपदा अधिकारी, हुडडा, भिवानी।
2179/2011	30.8.2011	2000/-	श्री विरेन्द्र सिंह बनाम पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद।
2394 – 2394. /2011	6.9.2011	5000/-	श्रीमती सरला टोटला बनाम संपदा अधिकारी-1, हुडडा, गुड़गांव।
3248/2011	6.9.2011	5000/-	श्री परमा नन्द बनाम तहसीलदार, पंचकूला।
1633 /2011	7.9.2011	5000/-	श्री दलबीर सिंह बनाम सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी, झज्जर।
2384/2011	8.9.2011	5000/-	डा0 रणबीर कुमार खोसला बनाम संपदा अधिकारी, फरीदाबाद।
2990/2011	9.9.2011	2000/-	श्री सुभाष खेच्चर बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिसार।
2792/2011	12.9.2011	2000/-	श्री बह्रम देव यादव बनाम संपदा अधिकारी, हुडडा, रिवाड़ी।

2528/2011	13.9.2011	1000/–	श्री संजीव कुमार बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1628/2011 में 3378/2010	13.9.2011	2000/–	श्री दीन दयाल सोनी बनाम लोक स्वास्थ्य डिवीजन–III, भिवानी।
1181/2011	14.9.2011	5000/–	मेजर महाबीर प्रसाद बनाम जिला नगर योजनाकार, नारनौल।
2099/2011	14.9.2011	5000/–	श्री प्रेम सिंह राठी बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
2106/2011	15.9.2011	5000/–	श्री किशोर सिंह बनाम कार्यकारी अभियन्ता, पी.एच.ई डिवीजन–I, सिरसा।
3178/2011	19.9.2011	2000/–	श्री अक्षय कुमार शर्मा बनाम राज्य रिकार्ड अपराध ब्यूरो, मधुवन।
3139/2011	19.9.2011	1000/–	श्री हरमीत सिंह बनाम क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, अम्बाला।
600/2011 में 1862/2011	20.9.2011	5000/–	श्री मूल चंद गोयल बनाम जिला नगर योजनाकार, हरियाणा।
2107/2011	20.9.2011	2000/–	श्री पी.आर. गुप्ता, कुरूकक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।
2096/2011	20.9.2011	5000/–	श्री सतबीर सिंह बनाम अधीक्षक अभियंता, पी.डब्लू.डी(बी एंड आर),

			भिवानी।
2204/2011	21.9.2011	5000/-	श्री अशोक भारद्वाज बनाम जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत।
444/2011 में 2330/2011	22.9.2011	2000/-	श्री प्रदीप कुमार मोदी बनाम संपदा अधिकारी-I, हुडडा, गुड़गांव
1725/2011	22.9.2011	5000/-	श्री मनीश कुमार बनाम उपायुक्त, महेन्द्रगढ़।
606/2011 में 2796/2011	29.9.2011	1000/-	श्री सुखदेव सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।
2197/2011	29.9.2011	5000/-	कैप्टन अशोक कुमार रंगी बनाम उपनिदेशक, पशुपालन एंव डेयरी विभाग, पानीपत, हरियाणा।
2621/2011	29.9.2011	500/-	श्री कृष्ण बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
2701/2011	30.9.2011	1100/-	श्री प्रदीप मलिक बनाम सहकारी समितियां, सफीदों।
2195/2011	30.9.2011	2000/-	श्री रत्न सिंह बनाम अधीक्षण अभियंता, पी.डब्लू.डी(बी एंड आर), झज्जर।
347/2011	3.10.2011	2000/-	श्री प्रवीन कुमार बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक।

1421/2011	4.10.2011	5000/–	श्री गजराज सिंह बनाम हुडडा, गुड़गांव।
3 702/2011	4.10.2011	5000/–	श्री बी.एम. कुकरेती बनाम संपदा अधिकारी–II, हुडडा, गुड़गांव।
3 528/2011	4.10.2011	2000/–	श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी बनाम हुडडा, गुड़गांव
3 707/2011	4.10.2011	2000/–	श्री असीम जाफर बनाम संपदा अधिकारी–II, हुडडा, गुड़गाुव।
1421/2011	4.10.2011	5000/–	श्री गजराज सिंह बनाम संपदा अधिकारी–I, हुडडा, गुड़गाुव।
2781.ए	5.10.2011	2000/–	श्री सत्या नारायण बनाम संपदा अधिकारी, बहादुरगढ़।
3 529/2011	10.10.2011	3 000/–	श्री ओम प्रकाश मदन बनाम संपदा अधिकारी, हुडडा, हिसार।
3 546/2011	10.10.2011	5000/–	श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी बनाम संपदा अधिकारी–II, हुडडा, गुड़गांव।
3 113 /2011	10.10.2011	5000/–	श्री जगदीश चंद्र बनाम संपदा अधिकारी, हुडडा, हिसार।
1194/2011	11.10.2011	1000/–	श्री विरेन्द्र सिंह बनाम राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
1721/2011	17.10.2011	1000/–	श्री पदम अग्रवाल बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।
1795/2011	17.10.2011	2000/–	श्री सुच्चा सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।

2918 ⁄ 2011	19.10.2011	5000 ⁄ –	श्री दिलबीर सिंह बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, भिवानी।
2749 ⁄ 2011	20.10.2011	1000 ⁄ –	श्री ऐ.के. अग्रवाल बनाम नगर निगम, अम्बाला।
3 3 11 ⁄ 2011	21.10.2011	2000 ⁄ –	श्री कुलदीप सिंह बनाम संपदा अधिकारी, हुडडा, गुड़गाुव।
3 688 ⁄ 2010 में 2614 ⁄ 2011	5.10.2010	10000 ⁄ –	श्री केवल कृष्ण खन्ना बनाम राज्य चौकसी विभाग, पंचकूला।
3 293 ⁄ 2011	20.10.2010	5000 ⁄ –	श्री सुरेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदासर, चरखीदादरी भिवानी।
2775 ⁄ 2011	2.11.2011	2000 ⁄ –	श्री वेद प्रकाश बनाम खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, तौशाम, भिवानी।
2646 ⁄ 2011	3 .11.2011	5000 ⁄ –	स्व0 जन0 रिटा0 विनय शंकर बनाम महानिदेशक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग।
2645 ⁄ 2011	3 .11.2011	1000 ⁄ –	श्री विनोद कुमार बनाम हरियाणा परिवहन, रोहतक।
3 3 09 ⁄ 2011	4.11.2011	500 ⁄ –	श्री सुरेन्द्र कुमार ऐलिस सलीम खान बनाम महानिदेशक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग।
1482 ⁄ 2011	8.11.2011	1000 ⁄ –	श्री सत्यनारायण बनाम राज्य चौकसी विभाग, हरियाणा।

2630/2011	8.11.2011	1000/–	श्री भीम सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, फरीदाबाद।
4041/2011	14.11.2011	2000/–	श्री बिजेन्द्र कुमार बनाम हुडडा, बहादुरगढ़।
2642/2011	14.11.2011	3000/–	श्री के.सी. मलहोत्रा बनाम हुडडा, फरीदाबाद।
2386/2011	14.11.2011	5000/–	डा0 यश यादव बनाम हुडडा, गुड़गांव।
4039/2011	14.11.2011	2000/–	श्री विकास कुमार गुप्ता बनाम हुडडा, फरीदाबाद
484/2011 में 1420/2011	14.11.2011	5000/–	श्रीमती रत्न यादव बनाम हुडडा, गुड़गांव
2479/2011	14.11.2011	1000/–	श्री विकास शर्मा बनाम हुडडा, फरीदाबाद
3959/2011	14.11.2011	1000/–	श्री एस.पी. मनचंदा बनाम हुडडा, गुड़गांव
2475/2011	14.11.2011	1000/–	श्री विकास मिश्रा बनाम हुडडा, फरीदाबाद
2478/2011	14.11.2011	1000/–	श्री विकास मिश्रा बनाम हुडडा, फरीदाबाद
515/2010 में 456/2010 में	15.11.2011	2000/–	श्री दीन दयाल सोनी बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, भिवानी।

188 ⁄ 2010			
4163 ⁄ 2011	15.11.2011	1000 ⁄ –	श्री विमल जेटली बनाम हुडडा, गुड़गांव
478 ⁄ 2011 में 2581 ⁄ 2010	16.11.2011	500 ⁄ –	श्री ओम प्रकाश बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
3224 ⁄ 2011	16.11.2011	1000 ⁄ –	श्री दीन दयाल सोनी बनाम हुडडा, भिवानी
4027 ⁄ 2011	16.11.2011	2000 ⁄ –	श्री भल्ले राम यादव बनाम हुडडा, हिसार
389 ⁄ 2011	17.11.2011	1000 ⁄ –	श्री सोहन लाल धीमान बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।
564 ⁄ 2011 में 1763 ⁄ 2011	17.11.2011	1000 ⁄ –	श्री जय प्रकाश बनाम परिवहन विभाग, हिसार
4036 ⁄ 2011	25.11.2011	1000 ⁄ –	श्री सत्या नारायण बनाम हुडडा, हिसार
865 ⁄ 2011 में 1194 ⁄ 2011	25.11.2011	1000 ⁄ –	श्री विरेन्द्र सिंह मलिक बनाम राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
399 ⁄ 2011 में 1101 ⁄ 2011	29.11.2011	1000 ⁄ –	श्री ओ.पी. शर्मा बनाम हुडडा, सोनीपत

3539/2011	29.11.2011	1000/–	श्री रामेश्वर दयाल गोतम बनाम हुडडा, सोनीपत
2666/2011	30.11.2011	5000/–	श्री रजिन्द्र बनाम उप मंडल अधिकारी (ना0), जींद।
2145/2011	2.12.2011	1000/–	श्री बुध राम बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, गुड़गांव।
4164/2011	5.12.2011	1000/–	श्री गुलशन वोहरा बनाम महानिदेशक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
828/2011 में 2646/2011	5.12.2011	5000/–	स्व0 जन0 रिटा0 विनय शंकर बनाम जिला नगर योजनाकार(हैडक्वाटर) महानिदेशक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, हरियाण, चण्ड़ीगढ़।
4160/2011	6.12.2011	1000/–	श्री सतीश कुमार एंव बलबीर सिंह बनाम पुलिस महानिरीक्षक(कर्मचारी वर्ग) सैक्टर–6, पंचकूला।
3137/2011	7.12.2011	2000/–	श्रीमती कमला देवी बनाम सिचांई विभाग, हरियाणा।
2489/2011	16.12.2011	2000/–	श्री रघुबीर सिंह बनाम आबकारी एंव कराधान मंत्री, हरियाणा, पंचकूला।

2515 / 2011	16.12.2011	2000 / –	श्री रघुबीर सिंह बनाम आबकारी एंव कराधान मंत्री, हरियाणा, एच. सी.एस, चण्डीगढ़।
4100 / 2011	16.12.2011	2000 / –	श्री रवीन्द्र नाथ बंसल बनाम हुडडा, गुड़गांव
43 56 / 2011	16.12.2011	10000 / –	श्रीमती संगीता हलदीया बनाम हुडडा, गुड़गांव
2515 / 2011	16.12.2011	2000 / –	श्री रघुबीर सिंह बनाम आबकारी एंव कराधान मंत्री, हरियाणा।
3 187 / 2011	21.12.2011	1000 / –	श्री एल.सी. चांदना बनाम नगर निगम, रिवाड़ी।
13 57 / 2011	23 .12.2011	500 / –	श्री राम मेहर शर्मा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा, पंचकूला।
3 192 / 2011	27.12.2011	1200 / –	श्री बी.आर. दलाल बनाम सिचांई विभाग, हरियाणा।